खण्ड–6, अंक–1
सोमवार, 08 ज्येष्ठ, शक संवत् 1924
(03 जून, 2002 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(प्रथम विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2002)

(खण्ड 6 में 8 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय, (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2003

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	क–ख
वन्देमातरम्	1
प्रश्नोत्तर	1–40
उ0 प्र0 विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य एवं स्वतंत्रता सेनानी श्री शिव नारायण सिंह नेगी के निधन पर शोकोद्गार	40–44
डूब क्षेत्र के विस्थापितों के लिए बनी आवासीय कालोनी में टी0 एच0 डी0 सी0 द्वारा आवंटित भवनों के आवंटियों द्वारा घरेलू कनेक्शन का व्यवसायिक उपयोग की जांच के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	44
डूब क्षेत्र की विस्थापितों के लिए टी0 एच0 डी0 सी0 की आवासीय कालोनी के भवनों के आवंटन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	44–45
जनपद चमोली में हुई ओलावृष्टि से गेहूं की फसल एवं फलों के नुकसान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	45
जनपद पिथौरागढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में ओलावृष्टि के कारण मोटर मार्ग अवरुद्ध, भवन एवं खड़ी फसलें नष्ट हो जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	45
जनपद पिथौरागढ़ में पन्द्रपाल पेयजल योजना बन्द होने से पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	45–46
उत्तरांचल पंचायत अध्यादेश, 2002 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	46
उत्तरांचल विनियोग (2001–2002 का अनुपूरक) विधेयक, 2002 (अधिनियमित होने की घोषणा)	46
उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2002 (अधिनियमित होने की घोषणा)	46
उत्तर प्रदेश कृषि मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002 (अधिनियमित होने की घोषणा) ...	46
देव संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 (अधिनियमित होने की घोषणा)	46

विषय	पृष्ठ संख्या

नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर संविधान के अनुच्छेद 151(2) का उल्लंघन होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न 47–48

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) 48–50

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें 50–65

वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय–व्ययक के विवरण का प्रस्तुतिकरण ... 65

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें 65

नत्थी "क" 66–68

उपस्थिति

1–श्री अजय भट्ट
2–श्री अनिल नौटियाल
3–श्री अनुसूया प्रसाद मैखुरी (डा0)
4–श्री अरविन्द पाण्डे
5–श्रीमती आशा देवी
6–श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश (डा0)
7–श्री उम्मेद सिंह मांजिला
8–श्री काशी सिंह ऐरी
9–श्री किशोर उपाध्याय
10–श्री कैलाश शर्मा
11–श्री कौंल दास
12–श्री गगन सिंह
13–श्री गोपाल सिंह
14–श्री गोविन्द लाल
15–श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल
16–श्री चन्द्रशेखर
17–श्री जोत सिंह
18–श्री तसलीम अहमद
19–श्री तिलक राज बेहड़
20–श्री तेजपाल सिंह रावत
21–श्री दिनेश अग्रवाल
22–श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी
23–श्री नव प्रभात
24–श्री नारायण पाल
25–श्री नारायण राम आर्य
26–श्री नारायण सिंह जंतवाल
27–श्री निजामुद्दीन
28–श्री प्रकाश पंत
29–श्री प्रणव सिंह
30–श्री प्रताप बिष्ट (डा0)
31–श्री प्रदीप टम्टा
32–श्री प्रीतम सिंह (चकराता)
33–श्री प्रीतम सिंह पंवार (यमुनोत्री)
34–श्री प्रेमानन्द महाजन
35–श्री फूल सिंह बिष्ट
36–श्री बलबीर सिंह नेगी
37–श्री बिजयपाल सिंह सजवाण
38–श्री बिशन सिंह चुफाल
39–श्री भगत सिंह कोश्यारी
40–श्री मदन कौशिक

41–श्री मन्त्री प्रसाद नैथानी

42–श्री महेन्द्र भट्ट

43–श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)

44–श्री मातबर सिंह कण्डारी

45–श्री मालचन्द्र

46–श्री यशवीर सिंह (चौ0)

47–श्री योगम्बर सिंह

48–श्री रणजीत सिंह

49–श्री राम प्रसाद टम्टा

50–श्रीमती विजय बडथ्वाल

51–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी

52–श्री शूरवीर सिंह

53–श्री शैलेन्द्र मोहन सिंघल (डा0)

54–श्री शहजाद

55–श्री साधू राम

56–श्री सुबोध उनियाल

57–श्री सुन्दरलाल मन्द्रवाल

58–श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी

59–श्री सुरेश चंद

60–श्री हरक सिंह रावत (डा0)

61–श्री हरबंस कपूर

62–श्री हरभजन सिंह चीमा

63–श्री हरीदास

64–श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल

65–श्री हीरा सिंह बिष्ट

66–श्री हेमेश खर्कवाल

67–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

68–श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर

सोमवार, दिनांक 03 जून, 2002

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुफलाम्। सुजलाम्।
मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम्।
मातरम्। वन्दे मातरम्।
शुभ्र ज्योत्सना–पुलकित–यामिनीम्
फुल्ल–कुसुमित–द्रुमदल–शोभिनीम्
सुहासिनीम्
सुमधुर भाषिणीम्
सुखदाम्
वरदाम्
मातरम्। वन्दे मातरम्।।

अल्पसूचित प्रश्न

प्रदेश की पर्यटन नीति के सम्बन्ध में जानकारी

** 1–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार प्रदेश की नई पर्यटन नीति बनाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो नई पर्यटन नीति का क्या प्रारूप है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पयर्टन एवं आबकारी मंत्री [ले०ज० (अ०प्रा०) तेजपाल सिंह रावत]–

प्रदेश के लिये पर्यटन नीति तैयार की जा चुकी है जो प्रभावी है। अतः वर्तमान में नई पर्यटन नीति बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, बड़ी चालाकी से दिया है। उत्तरांचल राज्य के गठन के बाद पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार में क्या बेराजगारों को ऋण देने की व्यवस्था है, और यदि है तो क्या है और प्रतिवर्ष उसका लक्ष्य क्या है ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, जहां तक प्रदेश में रोजगार की समस्या है, उस पर हमने 01 जून को वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना को घोषित किया है। इसके अन्तर्गत 300 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेंगे तथा 1200 लोगों को इन्डायरेक्टली रोजगार मिलेगा। इक्जेक्ट फीगर कि कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, अभी मैं नहीं कह सकता।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश में अनेक धार्मिक, ऐतिहासिक और रमणीय स्थल हैं, क्या सरकार उन्हें चिन्हित करके पर्यटन के नक्शे में अंकित करेगी ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, अवश्य करेगी।

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

मान्यवर, माननीय सदस्य को इस सन्दर्भ में बधाई देता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय नेता विरोधी दल और माननीय केन्द्रीय मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से भी बातचीत हुई, उसके फलस्वरूप प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य नैनीताल में स्वयं प्रेस कांफ्रेंस में जो घोषित किया उससे जो हमारी पर्यटन नीति है उससे पर्यटन नीति को और बल मिलता है।

मान्यवर, जो चार धाम यात्रा है और जो झील क्षेत्र के विकास की बात है। इसमें पर्यटन नीति से बल मिलेगा। जिन स्थानों का माननीय सदस्य ने संकेत किया है और जो अन्य पर्यटन स्थल है उनको विकसित किया जायेगा और वहां पर्यटकों की सुविधाओं में बढ़ोत्तरी की जायेगी पर्यटकों के लिए यात्री विश्राम गृहों की व्यवस्था की जायेगी। हमारा प्रयास रहेगा कि भारत सरकार जो इस संबंध में योजनाएं बना रहीं है इस संबंध में 7 जून को श्री जगमोहन, माननीय केन्द्रीय मंत्री यहां आ रहे हैं, उनसे परामर्श होगा। पर्यटन नीति का प्रभावी क्रियान्वयन किया जायेगा। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य का पूरा सहयोग मुझे मिलेगा।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऋण उपादान योजना के अन्तर्गत इस नीति में आपने क्या–क्या व्यवस्थाएं की हैं और उद्यमियों को जो ऋण देंगे उसमें कितना अनुदान होगा ?

ले0ज0 (अ0प्रा0) तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, यह स्कीम 2 करोड़ 17 लाख की है। इसमें अर्नेस्ट मनी साढ़े बारह प्रतिशत, साढ़े सड़सठ प्रतिशत बैंक से लोन दिया जायेगा और 20 प्रतिशत सब्सिडी होगी।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, इससे कितने लोगों को रोजगार मिल पायेगा ?

ले0 ज0 तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, करीब 300 लोग इससे लाभान्वित होंगे। इस योजना में ऋण कितना ही दिया जाये, लेकिन सब्सिडी की अधिकतम सीमा 2 लाख ही होगी।

उत्तरांचल में एकल आहरण एवं वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में

** 2–श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में एकल आहरण वितरण प्रणाली कब से लागू की गई ?

क्या सरकार इस व्यवस्था को समाप्त करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक यह व्यवस्था समाप्त हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

उत्तरांचल में एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली देहरादून कोषागार में 01 जनवरी, 2002 से देय वेतन की तिथि से तथा शेष कोषागारों में 01 अप्रैल, 2002 से देय वेतन की तिथि से लागू की गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्व में प्रचलित प्रणाली की अपेक्षा अधिक प्रभावी एवं आधुनिक है।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एकल आहरण वितरण प्रणाली लागू करते समय इसके सभी पहलुओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया, इस प्रणाली को लागू करने से सरकार पर कितना वित्तीय भार पड़ रहा है ? मान्यवर, उत्तरांचल बनने का प्रमुख कारण यहां की विषम भौगोलिक परिस्थितियां थी। जो प्रणाली यहां लागू की गयी है इसके चलते जैसे पी0डब्ल्यू0डी0, इरीगेशन आदि विभागों के जो कर्मचारी हैं, वे मुख्यालय से काफी दूर अपने कार्य को अंजाम देते हैं, उन्हें वेतन लेने के लिए मुख्यालय पर अपना खाता खोलना पड़ता है और इस प्रणाली के लागू होने से पहले वे जहां काम करते थे, वहीं पर उन्हें वेतन का भुगतान कर दिया जाता था। इसी प्रकार जो नये कर्मचारी हैं, जिनका जी0पी0एफ0 खाता महालेखा परीक्षक के कार्यालय में नहीं खुला है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कदाचित यह बात आपके संज्ञान में भी होगी, इस व्यवस्था के चलते आज कर्मचारी समुदाय आंदोलित है और यह व्यवस्था अच्छे ढंग से नहीं चल पा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं विश्व बैंक के दबाव में आकर यह व्यवस्था लागू की गयी हो, इससे तो मान्यवर लॉग टर्म में रोजगार के साधन भी कम हो जायेंगे और इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस व्यवस्था के चलते आज नौकरशाही ही निरंकुश हो गयी है। नैनीताल में जब कर्मचारियों का प्रतिनिधि मण्डल निदेशक, कोषागार से मिला और उन्होंने जिन अपशब्दों का प्रयोग किया उनका यहां पर, उल्लेख करना उचित नहीं समझता हूं इसलिए मैं मा0 मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस सम्पूर्ण आलोक में कृपा करके वह उत्तर देने का कष्ट करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य का बहुत आदर करता हूं। जो बातें उन्होंने यहां पर कही और जिस ढंग से कही, उन सबके बारे में पहले ही मैं भिज्ञ हूं। मान्यवर, यह एक आधुनिक उपभोक्ता प्रणाली है। संसार भर में देश और प्रदेशों में इसी व्यवस्था के अनुरूप कार्य हो रहा है। इस कम्प्यूटर युग में, कम्प्यूटर का उपयोग और इण्टरनेट का उपयोग यह सभी अनिवार्य अंग बन गये हैं, हमारे समाजिक जीवन में। देश और प्रदेशों में यह आहरण प्रणाली लागू है और उत्तर प्रदेश से हमे यह विरासत में मिली है। 1998 में ही बैंकों के माध्यम से यह काम शुरू हो गया था। आज लगभग सभी जगह यह प्रणाली विद्यमान है। हर जगह बैंकों में कर्मचारियों के एकाउन्ट खुल चुके हैं, जहां उनका वेतन ट्रांसफर हो जाता है। बैंक कर्मियों से भी कह दिया गया है कि वह किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लेंगे। कम्प्यूटर में आप इण्टरनेट के माध्यम से सारा विवरण देख सकते हैं। मैं तो बीसवीं सदी का हूं और आप इक्कीसवीं सदी के हैं। माननीय सदस्य ने नैनीताल की बात कही और कहा कि प्रतिनिधि मण्डल में कुछ समस्याएं और कठिनाइयां बतायी थी, यदि कोई ऐसी कठिनाई होगी तो उसको दूर किया जायेगा। वर्तमान में जो आहरण प्रणाली है उसी हिसाब से कार्य चल रहा है। इस व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलने का अवसर दिया जाना चाहिए।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की भावनाओं से बिल्कुल सहमत हूं। कम्प्यूटर का जमाना है। चाहे आहरण प्रणाली हो या अन्य, कम्प्यूटर के जरिये से होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बीसवीं सदी के होते हुए भी इक्कीसवीं सदी के आधुनिक प्रणाली से भिज्ञ हैं। माननीय सदस्य का प्रश्न पूछने का आशय यह था कि जो कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं उनको उजागर करने का था। आपने यह भी कहा कि इस प्रणाली के अन्तर्गत इण्टरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर में सारा विवरण उपलब्ध है। पर्वतीय क्षेत्र की माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष जानकारी है।

माननीय मुख्यमंत्री जी मुन्स्यारी तहसील के कर्मचारी पूरा विवरण बनाकर जिला हेड क्वार्टर में आते हैं, अपनी तन्ख्वाह की पूरी लिस्ट बनाकर आते हैं, इस प्रकार कई बार उनको आना पड़ता है। इससे काम का हर्ज होता है, पैसे खर्च होते हैं। मान्यवर, तो यह

ठीक है कि सभी स्थानों पर इंटरनेट की व्यवस्था हो जाये जिससे सारे विवरण तुरन्त आ जायेंगे, अगर ऐसी व्यवस्था हो जाये तो इससे बढ़िया कोई भी प्रणाली नहीं हो सकती। लेकिन जब तक अपने दूरस्थ स्थानों पर इंटरनेट की व्यवस्था नहीं होती है तब तक के लिए क्या माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें कोई तब्दीली करने जा रहे हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

माननीय सदस्य को जो जानकारी है उसके बारे में मैं जानकारी ले लूंगा। जहां तक मुझे सूचना मिली है कि अब वहां पर चक्कर नहीं लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य की जानकारी को देखते हुए कार्य करूंगा।

तारांकित प्रश्न

जल विद्युत निगम की परियोजनायें तथा इनसे उत्पादन लक्ष्य की जानकारी

* 1–श्री प्रकाश पंत–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में लघु जल विद्युत निगम की वर्तमान में उत्तरांचल में कितनी परियोजनायें कार्य कर रही हैं ?

इन परियोजनाओं का उत्पादन लक्ष्य, प्रति परियोजना क्या निर्धारित था ? प्रत्येक परियोजना कितना उत्पादन कर रही है।

क्या लक्ष्य से कम उत्पादन करने वाली परियोजनाओं के उत्पादन में वृद्धि के सम्बन्ध में सरकार की कोई कार्य योजना है ?

यदि हां, तो क्या ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

उत्तरांचल में वर्तमान में जल विद्युत निगम की 14 परियोजनायें कार्य कर रही हैं। सूची संलग्नक–1 में अवलोकनीय है।

प्रति परियोजना वर्ष 2001–02 व 2002–03 उत्पादन लक्ष्य तथा उत्पादन का विवरण संलग्नक–1 में अवलोकनीय है।

जी हाँ।

लक्ष्य से कम उत्पादन करने वाली परियोजनाओं के उत्पादन में वृद्धि के लिए कार्य योजना का विवरण संलग्नक–2 पर अवलोकनीय है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 66–68 पर)

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या प्रति कर्मचारी को कम्प्यूटर की व्यवस्था के लिए प्रतिमाह धनराशि उसके वेतन से काटी जाती है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, जी नहीं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या उत्तरांचल में सोबला फेज–1, फेज–2 के नाम से कोई परियोजना है या नहीं है ? दूसरा जो संलग्नक–2 में विभिन्न परियोजना का विवरण दिया गया है उसके विषय में मैं यह जानना चाहूंगा कि जिस तरह से कुलागाड परियोजना को करने के लिए 2004 तक का लक्ष्य रखा गया है। इसमें धारचूला और पिथौरागढ़ में 132 केवी लाख बनाने का कार्य प्रस्तावित है, इसमें कितनी धनराशि प्रस्तावित की गयी है ?

औद्योगिक विकास राज्य मंत्री (श्री किशोर उपाध्याय)–

मान्यवर, सोबला परियोजना के बारे में आपने कहा। इसमें यह परियोजना अभी प्रस्तावित की है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इसकी सूचना आपके पास प्रमाणित है ?

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं प्रमाणित जानकारी के आधार पर ही आपको जानकारी दे रहा हूं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि सोबला परियोजना क्या उत्तरांचल में है या नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

श्रीमन् बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं, जो पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल हैं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी कोई चीज बोलेंगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कम से कम आपके मंत्री को पता होना चाहिए, आपके मंत्री को पता नहीं है। मान्यवर, सोबला परियोजना बनी थी, अब खत्म होने वाली है। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, मुझे योजना का पता नहीं है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जो हमें उत्तर प्राप्त हुए हैं। अतारांकित प्रश्न संख्या 38 के 8वें क्रमांक में सोबला जिसकी क्षमता 6 मेगावाट है। मान्यवर, यह आपका ही उत्तर है।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पास सोबला द्वितीय जिसकी क्षमता 1.5 मेगावाट है, की जानकारी है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, उसमें लिखा गया है कि सोबला परियोजना 6 मेगावाट की है। यह अतिवृष्टि के कारण नष्ट हो गयी थी, जिसमें फेज–1 तथा फेज–2 में कार्य चल रहा है। मान्यवर, सरकार के पास जानकारी नहीं है, इससे बड़ी बिडम्बना की स्थिति क्या हो सकती है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, या तो मुझे उत्तर गलत दिया जा रहा है, या सदन को गुमराह किया जा रहा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, जो बात प्रतिपक्ष के नेता ने कही उसका मैं स्वागत करता हूं। उसका माननीय सदस्य पिथौरागढ़ ने उपयोग किया क्योंकि आपने पहले ही नहीं कहा है, इसकी जानकारी आपको है, यह बन गयी है और नष्ट हो गयी। मान्यवर, माननीय सदस्य को यह पूछना चाहिए था कि सोबला फेज–1 तथा फेज–2 काम कर रही है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं, कि सोबला परियोजना फेज–1, कितनी क्षमता की है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो प्रश्न माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया है उसमें थोड़ा कनफ्यूजन है, जो सोबला परियोजना है वह डेमेज है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया कि वर्तमान में कितनी परियोजनायें कार्य कर रही हैं, उत्तर आया है कि 14 परियोजनायें कार्य कर रही हैं। जब कि इस सूची में सोबला परियोजना शामिल नहीं है, इस तरह से गोल–मोल उत्तर आया। मैं जानना चाह रहा था कि सोबला परियोजना कार्य कर रही है इसका उत्तर नहीं आया। इस तरह से यह तो सदन को सीधे–सीधे गुमराह करने की कोशिश की गई है।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, प्रश्न था कि क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में लघु जल विद्युत निगम की कितनी परियोजनायें कार्य कर रही हैं, जो ध्वस्त हो गई हैं वह कार्य कैसे करेंगी। सोबला का 2003 तक निर्माण हो जायेगा। माननीय राज्य मंत्री जी ने मेरी ओर से उत्तर दिया कि उसका विवरण माननीय सदस्य को सही करके भेज देंगे।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो कुलागाड़ योजना है उसका लक्ष्य 2004 रखा गया है, उसको ग्रिड से जोड़ने के लिए कितनी धनराशि प्रस्तावित की गई है। दूसरा बरार परियोजना का कार्य पूर्ण कर लिया है और उसमें उत्पादन प्रारम्भ हो गया है, कब से प्रारम्भ हो गया है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा जो अनुपूरक प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में मैं अलग से जानकारी दे दूंगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, पूरी सूचना नहीं आयी है इसको स्थगित कर देना चाहिए।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी को याद होगा कि आपके मुख्यमंत्री काल में माइक्रो हाइड्रो कारपोरेशन की स्थापना हुई थी। पर्वतीय क्षेत्र में जल स्रोत हैं और ज्यादा पानी है, इसलिए जल विद्युत निगम हो गया और उसके बाद कुछ परिवर्तन हुआ।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, शासन ने उत्तर प्रदेश में रहते हुए तीन मेगावाट से कम उत्पादन वाली जो परियोजना थी उसको भारत सरकार के सहयोग से नेडा को सौंप दिया है। तीन मेगावाट से ज्यादा क्षमता वाली परियोजना माइक्रो हाइड्रो कारपो0 को दे दिया है। उरेडा हमारे प्रदेश की नई एजेन्सी है उसके पास एक मेगावाट, दो मेगावाट या तीन मेगावाट की परियोजनाओं को चलाने के लिए ज्यादा तकनीकी स्टाफ नहीं है। माइक्रो हाइड्रो कारपो0 अब चूंकि बन गया है उनके पास तो मैनपावर होगी इंजीनियर्स होंगे। तो मान्यवर, एक तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करेगी कि 500 किलो वाट तथा 300 किलो वाट तक परियोजना उरेडा के पास ठीक है ? एक मेगावाट क्षमता वाली परियोजना उरेडा के पास नहीं है। क्या आप एक मेगावाट से ज्यादा क्षमता की परियोजना को बनाने का काम उसको सौंपेंगे। हमारे यहां जो बहुत सारे जल संसाधन हैं उसका विस्तृत सर्वे हुआ है या नहीं, उन जल स्त्रोतों का सर्वेक्षण हुआ है तथा शासन को संदर्भित किया गया है। परियोजनाओं को बनाने का आदेश देने की कृपा करेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

श्रीमन्, माननीय सदस्य को उनकी याददास्त के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले जन सेवाकाल में किये गये कार्यों का उल्लेख किया तथा माइक्रो हाइड्रो कारपो0 का उल्लेख किया। लगभग 12 साल पूर्व के कार्यों का उल्लेख किया। मान्यवर अब काफी बदल गया है। लेकिन अब जो है उसी को हमें ठीक करना है। माननीय सदस्य ने यह भी ठीक कहा कि कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों की भारी कमी है इसलिए किसी भी कार्य को करने में तथा नीतियों को अमल में लाने में कठिनाई आती है। नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार करनी पड़ती है। अधिकारियों की नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत करनी पड़ती है। इन सारी कठिनाइयों के बीच में पिछली सरकार ने काम किया था हम भी अभी उन कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। हम कर्मचारियों की तथा इंजीनियरों की कमी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में हम उन संगठनों का भी सहयोग लेंगे जिन्होंने यूरोप में लघु विद्युत योजना में अपना योगदान दिया है यदि वे हमारी शर्तों को स्वीकार करेंगे तो हम उनकी सहायता लेंगे। हमारे जो कारपो0 के नियम हैं उनको भी हमें देखना होगा कि उनके लिए योजना लाभकारी है या नहीं।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। अक्सर यह होता है कि जो भी प्रश्न हम करते हैं, उसका उत्तर सही नहीं आता। पिछली बार हमने पूछा था कि क्या सुमाड़ी तिलवाड़ा योजनाएं चालू हैं ? तो उत्तर मिला कि निर्माण कार्य शुरू हो गया है। लेकिन आज तक कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसी प्रकार प्रकाश पंत जी ने जो प्रश्न किया था, उसका उत्तर भी नहीं मिला।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, इस उत्तर से हम संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न स्थगित किया जाता है।

रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर काण्ड के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

* 2–श्री काशी सिंह ऐरी, श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

क्या मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तरांचल राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रदेश सरकार ने रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर काण्ड के दोषी अधिकारियों को सजा दिलाने के लिए शासन स्तर पर क्या प्रयास किये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहा काण्ड, में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध, सक्षम न्यायालयों में सी0बी0आई0 द्वारा प्रदेश गठन के पूर्व से ही आरोप पत्र दाखिल किये गये हैं। प्रकरण में अभियोजन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वांछित हैं। प्रकरण

न्यायालय में लम्बित होने के कारण उत्तरांचल शासन द्वारा कोई अन्य कार्यवाही वर्तमान में अपेक्षित नहीं हैं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की तरफ से जो जवाब आया है, मुझे पहले से ही मालूम था कि यह जवाब आएगा। मैं तो यह चाहता था कि इस विषय की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए सरकार इसमें कुछ मंशा जाहिर करती कि हम आगे क्या कर सकते हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब मुजफ्फरनगर का शर्मनाक काण्ड हुआ था, तो उस समय हमें तत्कालीन प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार से कोई न्याय नहीं मिला। उच्चतम न्यायालय, इलाहाबाद से हमें न्याय मिला और इस काण्ड की सी0बी0आई जांच शुरू हुई। बाद में केन्द्र सरकार बदल गयी और मुजफ्फरनगर काण्ड में दोषी तत्कालीन जिलाधिकारी को केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री जी ने अपना पी0 एस0 बना लिया और वहां के डी0 आई0 जी0 को प्रदेश सरकार ने प्रोन्नत कर दिया। भूतल परिवहन मंत्री जी जब प्रदेश में आये तो अपने पी0 एस0 को उन्होंने सचिव बना दिया। इस प्रकार प्रदेश सरकार ने हमारे घावों पर मलहम लगाने की जगह उन्हें और कुरेदने का ही काम किया। सरकार ने एक गलती और की, सी0बी0आई0 ने जो केस प्रस्तुत करना था, वह प्रस्तुत नहीं किया और अदालत में प्रदेश सरकार ने एक तकनीकी बात कही कि आरोप पत्र समय पर नहीं आया इसलिए मुकदमे को खारिज किया जाय। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। सी0बी0आई0 इसकी पैरवी कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें अभियोजन का कार्य कर रही है लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उत्तरांचल का मुख्यमंत्री होने के नाते आप अपने स्तर पर मुजफ्फरनगर काण्ड के दोषियों को सजा दिलवाने के लिए कार्यवाही करें। इसके लिए चाहे केन्द्र सरकार से कहना पड़े, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार से।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो मुजफ्फरनगर तिराहे की घटना हुई उसे कई माननीय सदस्यों ने और माननीय ऐरी जी ने कई मंचों से उठाया और मैं उत्तरांचल सरकार की तरफ से यह कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर काण्ड के जो दोषी हैं उनको निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए, इसके अलावा सरकार कोशिश करेगी, हम करेंगे, लेकिन चूंकि मामला न्यायालय में है, सी0बी0आई0 देख रही है तो जो भी दोषी होंगे उन्हें हम दण्डित कराने का भरसक प्रयास करेंगे।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आज भी उत्तरांचल आंदोलनकारियों के मुकदमे शेष हैं। पूववर्ती सरकार ने बहुत से मुकदमें वापस लिए, आज कितने मुकदमे शेष हैं और सरकार इस पर क्या विचार कर रही है ?

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, उसके बारे में मैं सारी जानकारी अलग से उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, इस प्रकरण से सम्बन्धित मुझे जो जानकारी है, अभी चर्चा हो रही थी एक आई0ए0एस0 अधिकारी थे जिन्हें परिवहन मंत्री, भारत सरकार ने अपना निजी सचिव बनाया, तो मैं इस विषय से सम्बन्धित माननीय अध्यक्ष जी यह पूछना चाहता हूं कि अभी एक माह पहले जो गोली काण्ड हुआ, जो घायल हुए हैं, उन लोगों की शासन ने एक लिस्ट बनवाई है और उसमें 62 लोगों को चिन्हित किया गया है तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वे 62 लोग जो गोली से घायल हुए हैं, क्या सरकार उनको मुआवजा देने जा रही है, जब कि मेरी जानकारी में है उनको कोई मुआवजा या नौकरी नहीं मिली है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, आंदोलनकारियों के बारे में हमारी सरकार कितनी गम्भीर है यह माननीय सदस्य जी के प्रश्न से स्पष्ट हो जाता है और घायलों के बारे में जो माननीय सदस्य जी ने कहा है, जहां तक मुझे जानकारी है अधिकतर लोगों को मुआवजा देने की या तो प्रक्रिया चल रही है या तो मिल गया है, जितना सम्भव होगा हमारी सरकार उनकी सहायता करेगी।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर काण्ड के जो एकमात्र गवाह थे–सुभाष गिरी। सरकार के संज्ञान में होगा कि पंजाब मिल में जाते हुए उनकी संदेहास्पद हत्या कर दी गयी थी। क्योंकि यह जो हत्या हुई है, गिरी जी एकमात्र गवाह थे और पुलिस इसमें फाइनल रिपोर्ट लगाने जा रही है अगर उसमें बिना किसी इन्क्वायरी की रिपोर्ट लग गई तो मान्यवर यह उचित न होगा।

मान्यवर, देहरादून के सारे मामले मुजफ्फरनगर से ट्रांसफर हो गये हैं। वहां इस केस की पैरवी नहीं हो पा रही है। मान्यवर, मुजफ्फरनगर में जिन महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मुजफ्फरनगर काण्ड के दोषियों को सजा दिलाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। माननीय सदस्य ने जो 6 अप्रैल की घटना का उल्लेख किया है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर कार्यवाही करेगी।

उत्तरांचल की महिलाओं की कठिन दिनचर्या की समस्यायें तथा उनके समाधान की योजना

* 3–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

* क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शासन ने उत्तरांचल की महिलाओं की कठिन दिनचर्या की समस्याओं के समाधान के लिये कोई योजना बनाई है ?

यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है ? उक्त योजना कब तक क्रियान्वित हो जायेगी ? महिलाओं के स्वास्थ्य एवं आर्थिक सबलता के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां।

महिलाओं के स्वास्थ्य एवं आर्थिक सबलता के लिए महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत कई योजनायें संचालित हैं/होंगी। योजनाओं का विवरण निम्नवत् है :–

संचालित योजनायें :–

1. समेकित बाल विकास सेवायें–योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को निम्न सेवायें दी जा रही हैं :–

   (i) स्वास्थ्य जांच (ii) टीकाकरण

   (iii) अनुपूरक पोषाहार (iv) पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा

   इस योजना के अन्तर्गत गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण संबंधी प्रतिदिन की समस्याओं पर ध्यान दिया जाता है। 06 वर्ष तक के बच्चे आंगनबाड़ी केन्द्रों पर रहते हैं एवं महिलाओं को पानी, ईंधन एवं चारा इत्यादि संबंधी कार्यों के लिये दिन में समय मिल जाता है।

2. स्व : शक्ति–विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित इस योजना में पिथौरागढ़, अल्मोड़ा एवं टिहरी गढ़वाल जनपदों में स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों का निर्माण कर महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण हेतु प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

   महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक उन्नयन द्वारा उनकी कठिन दिनचर्या की समस्याओं का समाधान किया जाना योजना का प्रमुख लक्ष्य है।

वर्ष, 2002 में संचालित की जाने वाली योजनायें :–

1. किशोरी शक्ति योजना–यह योजना 11–18 वर्ष की गरीब, अविवाहित किशोरियों के सर्वांगीण विकास हेतु शीघ्र प्रारम्भ की जा रही है। किशोरियों के पोषण एवं स्वास्थ्य की देखभाल, परिवार कल्याण, निर्णय लेने की क्षमता में विकास, वातावरण के प्रति जागृति, व्यवसायिक प्रशिक्षण द्वारा आत्मनिर्भरता एवं आत्म विश्वास की जागृति किया जाना इस योजना का उद्देश्य है। योजना आई0सी0डी0एस0 के माध्यम से संचालित की जानी है। सबल किशोरियां कठिन दिनचर्या की समस्याओं को सुगमता से हल कर पायेंगी, यह इस योजना की परिकल्पना है।

2. स्वयंसिद्धा—राज्य के चमोली, बागेश्वर, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल तथा ऊधमसिंह नगर जनपदों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उनको आत्मनिर्भर बनाने हेतु यह योजना शीघ्र लागू की जानी है।

महिलाओं के सामाजिक—आर्थिक उन्नयन द्वारा उनकी कठिन दिनचर्या की समस्याओं का समाधान किया जाना योजना का प्रमुख लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

माननीय अध्यक्ष जी मेरा प्रश्न था कि शासन ने उत्तरांचल की महिलाओं की कठिन दिनचर्या की समस्याओं के समाधान के लिए कोई योजना बनाई है, जो उत्तर आया है उसमें केन्द्र सरकार द्वारा पोषित योजनाएं हैं जिसमें कार्यदायी संस्था मात्र राज्य सरकार है। जो महिलाओं की चारा, घास, पानी, लकड़ी ईंधन आदि की समस्याएं हैं उनका जिक्र नहीं किया गया है। मान्यवर, उत्तरांचल के निर्माण में यहां के महिला समाज का विशेष योगदान रहा है। इस समस्या के हल के लिए कोई भी योजना नहीं बनाई गयी है, प्रश्न के उत्तर में जो योजनाएं दी गई हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्या आप कृपया प्रश्न पूछें।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

मान्यवर, क्या इसके लिए योजना बनाई जायेगी ?

श्री किशोर उपाध्याय—

मान्यवर, निश्चित रूप से हमारी सरकार इसके लिए योजना बनायेगी।

श्री प्रकाश पंत—

मान्यवर, प्रश्न पूछा गया है कि क्या शासन ने उत्तरांचल की महिलाओं की कठिन दिनचर्या की समस्याओं के समाधान के लिए कोई योजना बनाई है ? उत्तर आया जी हाँ। और अब माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं कि हम इसके लिए योजना बनायेंगे। मान्यवर, यह विरोधाभास बार—बार आ रहा है।

श्री किशोर उपाध्याय—

मान्यवर, माननीया सदस्या ने प्रश्न पूछा कि क्या इस संबंध में कोई योजना बनायेंगे, मैंने कहा निश्चित रूप से बनायेंगे। (व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, जो केन्द्र सरकार ने इतनी मेहनत के साथ योजनाएं बनाई हैं, उनको लागू करना हमारा कर्तव्य है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, इससे पहले भी श्री काशी सिंह ऐरी जी ने एक संवेदनशील प्रश्न उठाया था और यह प्रश्न भी संवेदनशील है। श्री पंत्र जी ने अपना कौशल दिखाया, उनकी उम्र के बराबर आपका संसदीय अनुभव है और आपने उनसे ज्यादा कौशल दिखाया। मान्यवर, यह एक अहम प्रश्न है कि मैं अभी एक इन्टीरियर गांव से हो करके आया हूं, पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं की दिनचर्या बहुत कठिन है तो क्या उनके बोझ को कम करने के लिए, क्या सरकार कोई योजना बना रही है या कोई योजना बना दी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, माननीय राज्य मंत्री जी ने अभी योजनाओं का उल्लेख किया और माननीय सदस्य ने जो विचार रखे हैं उनका आदर किया जायेगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने चार योजनाओं का उल्लेख किया है–समेकित बाल विकास योजना, स्वः शक्ति योजना, किशोरी शक्ति योजना और स्वयंसिद्ध योजना। परन्तु मान्यवर केन्द्र सरकार की जो ये योजनाएं हैं यह बहुत सीमित मात्रा में है, स्वःशक्ति योजना के अन्तर्गत पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और टिहरी गढ़वाल को लिया गया है और स्वयंसिद्ध योजना के अन्तर्गत चमोली, बागेश्वर, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल तथा ऊधमसिंह नगर को लिया गया है तो मान्यवर, इससे पूरा उत्तरांचल आच्छादित नहीं हो पा रहा है आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पटवारी नहीं गया है। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र की विषम परिस्थितियों को देखते हुए क्या सरकार छोटे उद्योग धन्धे और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल के द्वारा उनके द्वारा बनाई गयी सामग्री आदि जैसी योजनाओं को विपणन हेतु कोई प्रारूप बनाया गया है या सरकार कोई प्रारूप बनाने जा रही है ? यदि हां, तो वह प्रारूप क्या है ?

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय सदस्य का बहुत ही अच्छा सुझाव है। सरकार सुझाव पर गौर करेगी। वैसे भी बजट सत्र है तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं के उत्थान के बारे में योजनायें बाद में बतायेंगे।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, केन्द्र सरकार जो कुछ कर रही है वह तो बधाई के पात्र हैं ही, परन्तु इस प्रदेश की विषम परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने क्या योजनाएं बनाई हैं।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर अध्यक्ष जी, यह सही है कि इस राज्य के निर्माण में नारी शक्ति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा, कि केन्द्र सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य सरकार अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कृत संकल्प है। उन योजनाओं को हम भी भली प्रकार निभा रहे हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य आदि के लिए, मान्यवर, मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि इसका खुलासा सरकार की तरफ से हो गया है।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है इसलिए इसको स्थगित किया जाये।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि जो आपने इसमें सवाल किया है उसका सम्पूर्ण रूप से उत्तर सरकार की तरफ से आ गया है।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्यमंत्री (डा0 इन्दिरा हृदयेश)–

माननीया विजय बड़थ्वाल जी ने जो प्रश्न किया है जिसमें पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं की समस्या है।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकती है, मगर उस विभाग का मंत्री उपस्थित हो तो वह उत्तर नहीं दे सकती हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य यह सामूहिक दायित्व है।

डा0 इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह हमारी बहन का प्रश्न है, यह सही है कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं को बहुत कष्ट का जीवन गुजारना पड़ता है और इसके लिए लगातार प्रयास होते रहे हैं। इसके लिए जो योजना केन्द्र सरकार द्वारा बनी है, उन्हें लागू करना राज्य का काम है, राज्य के माध्यम से लागू हो तो काफी राहत मिलती है। लेकिन यह जो मुख्य बिन्दु आपकी भावना से जुड़े हैं तो मैं सरकार की ओर से आश्वासन देती हूं और यह जो पीड़ा है इसके लिए सरकार गम्भीर है। तो ग्रामीण क्षेत्र तक प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण महिलाओं को लकड़ी काटकर सिर पर लादकर लाना पड़ता है उसके लिए सरकार गैस की व्यवस्था कर रही है। जहां गैस नही पहुंच रही है वहां भी पहुंचे इस संबंध में हमारी सरकार प्रयत्नशील है।

हरिद्वार, देहरादून व ऊधमसिंह नगर में आपराधिक घटनाओं की वृद्धि तथा इन पर नियंत्रण हेतु प्रयास

* 4–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरिद्वार, देहरादून तथा ऊधमसिंह नगर में चोरी डकैती एवं लूटपाट की घटनाओं में वृद्धि हो रही है ?

यदि हां, तो अपराधों के वृद्धि का क्या कारण है ?

क्या सरकार इन अपराधों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाने जा रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अपराध की घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रकाश में आये अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करायी जा रही है तथा सक्रिय अपराधियों को चिन्हित/सूचीबद्ध कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षकों को निर्देश पारित किये गये हैं। पेट्रोलिंग, गश्त व पिकेट व्यवस्था सुदृढ़ की गयी है। इस संबंध में मादक पदार्थों, अवैध आग्नेयस्त्रों, सक्रिय अपराधियों एवं वांछित अपराधियों की धर पकड़ हेतु दिनांक 16–05–2002 से एक अभियान भी चलाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों को पूर्ण सतर्क व गतिशील रहने के लिये निर्देशित कर दिया गया है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का उत्तर है जी नहीं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि आपने अभी तक कितने अपराधियों को पकड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 27 लाख रु0 की चोरी हुई है आज तक इसका कोई पता नहीं है। आप अपराध नियंत्रण के बारे में क्या करने जा रहे हैं ?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह एक अति संवेदनशील प्रश्न है, माननीय मंत्री जी को एक कम्प्रेटिव चार्ट के द्वारा इसका उत्तर देना चाहिए था, जिससे पूरी जानकारी होती।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं सदन के सम्मुख दि0 01–03–2002 से 31–05–2002 तक जो अपराधियों के जो आंकड़े हैं उनमें वर्ष 2001, 2002 में 1500 अपराधी पंजीकृत हैं।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, हरिद्वार में कोई अपराध दर्ज न हो। क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि आपके पास कोई प्राथमिकी दर्ज कराने आ रहा है तो आप उसकी प्राथमिकी लिखवा दें। उत्तर प्रदेश विधान सभा और उत्तरांचल विधान सभा के अलग–अलग आदेश हैं। यदि कोई गलत एफ0आई0आर0 लिखता है तो उस पर धारा 182 चलवा दें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, इसमें हमने पूरी शक्ति के साथ लॉ एण्ड आर्डर, सिच्युवेशन को मेन्टेन करने के आदेश दिये हैं, यहां तक की फोन पर भी एफ0आई0आर0 लिखा सकते हैं।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, हमारे पास पीड़ित आया कि एफ0आई0आर0 लिखवाने के लिए गया तो हमारी एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं हुई।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इसको गम्भीरता से लिया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, हरिद्वार जिले के बारे में आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस प्रकार के कोई आदेश नहीं हुए। मुझे दुःख है कि एक एफ0आई0आर0 लिखवाने के लिए इन्हें पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट को कहना पड़ा।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह प्रश्न अपराध से संबंधित है। उत्तरांचल में अपराधों में वृद्धि हुई है। मामले दर्ज ही नहीं होंगे तो आंकड़े कैसे सही होंगे। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि मूल अपराधी पकड़ा गया या नहीं, क्या कार्यवाही हुई यह एक बिन्दु है। दूसरा बिन्दु है, कि पुलिस वाले भी अपराध में शामिल हैं। इस तरह की हमारे सामने विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। भाजपा शासन में थी तो उनके मुख्यमंत्री श्री नित्यानन्द स्वामी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी पुलिस कर्मी क्रिमिनल रिकार्ड के हैं उनको जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश भेजा जायेगा। वे आज तक नहीं भेजे गये। इस तरह के कर्मी की कोई जिम्मेदारी नहीं हैं क्योंकि वह कल चला जायेगा। क्या इस पर अंकुश लगाने का कष्ट करेंगे ? क्या ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश भेजने का कष्ट करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, जो माननीय सदस्य द्वारा प्रकरण प्रस्तुत किया गया है वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के विकल्पधारियों का निर्णय केवल हमारे ही शासन के ऊपर नहीं, क्योंकि इसमें राजनीतिक बाध्यता है, पहले तो वहां सरकार नहीं बन पायी और राज्यपाल शासन लागू हो गया। मैं दो बार राज्यपाल महोदय से मिलने गया, अप्रैल में कुछ हल निकलता। उसके बाद वहां पर नई सरकार का गठन हो गया।

इस संबंध में मैंने टेलीफोन पर बात की है। उत्तर प्रदेश सरकार से फिर कहूंगा कि वे विकल्पधारी कर्मचारियों को वापस लें। इस सम्बन्ध में कोर्ट की राय है कि विकल्पधारियों को तभी भेजें, जब उनको कहीं खपाने की गुंजाइश हो। इसलिए हमें उन्हें मजबूरन यहां पर रखना पड़ रहा है लेकिन इस बात को हम माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के समक्ष फिर रखेंगे। नहीं तो फिर इसे भारत सरकार के पास भेजना पड़ेगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं अवगत करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में 20 दिन पूर्व कांग्रेस के एक नेता द्वारा एक लड़के की इतनी पिटाई की गयी कि उसकी दो–तीन पसलियां टूट गई, उस लड़के को जॉली ग्रान्ट अस्पताल में भर्ती करवाया गया। किन्तु उसकी रिपोर्ट थाने में आज तक दर्ज नहीं की गई। दूसरी घटना मंगलौर क्षेत्र की है वहां पर वीर सिंह नाम का व्यक्ति दो माह से लगातार चक्कर थाने के लगा रहा है किन्तु उसकी रिपोर्ट आज तक दर्ज नहीं की गई। क्या उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिये गये हैं।

श्री कुंवर प्रणव सिंह (चैम्पियन)–

मान्यवर, हरिद्वार जनपद का मैं भी रहने वाला हूं घटना को बहुत बढ़ा–चढ़ाकर बताया जा रहा है। जनपद में अपराध काफी कम हो गये हैं।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय सदस्य ने जो उल्लेख किया है उसकी जानकारी करेंगे। अगर कहीं भी कोई कोताही बरती गई है तो जो जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश हैं कि एफ0आई0आर0 दर्ज करने में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाय।

श्री सुरेश चन्द्र जैन–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रश्न को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं कई जघन्य अपराध हो रहे हैं लेकिन उन अपराधियों का कोई पता नहीं हैं। रामपुर तिराहे पर लूट हुई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। रोजाना महिलाओं के गले से चैन छिनने की घटनाएं हो रही हैं। एक ही रात में 6–6 घटनाएं हो रही हैं लेकिन पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यहां पर चर्चा तो हो नहीं रही है, माननीय सदस्य अपना प्रश्न पूछें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कपूर जी, कृपया अपना प्रश्न पूछें, चर्चा न करें।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, सरकार सदन को गुमराह कर रही है।

(व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, एक वरिष्ठ सदस्य खड़े होकर प्रश्न कर रहे हैं, उनके प्रश्न पूछने से पहले ही आप उठकर खड़े हो गये।

(व्यवधान)

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, देहरादून में सरकारी जमीनों में अवैध कब्जे हो रहे हैं। सरकार के कई माननीय मंत्री इसमें शामिल हैं, उनके संरक्षण में अवैध कब्जे हो रहे हैं।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। मेरी राय में प्रश्न की सीमा के अन्दर ही अनुपूरक प्रश्न होना चाहिए। आप इसको किसी नियम के अन्तर्गत लाइये और फिर इस पर बोलिए।

(व्यवधान)

जनपद हरिद्वार में उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में

* 5–श्री मदन कौशिक–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरिद्वार में उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

उत्तरांचल राज्य को विशेष औद्योगिक पैकेज देने की घोषणा मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा की गयी है। मा0 प्रधानमंत्री जी की घोषणानुसार– "औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश को आकृषित करने हेतु करों एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में राहत देने पर उत्तरांचल सहित 'विशेष श्रेणी के राज्यों' में व्यवस्था की जायेगी। ऐसे प्रोत्साहन हेतु वे उद्योग पात्र होंगे जो पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त, स्थानीय रोजगार सृजन एवं स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम होंगे।

इस विस्तृत योजना का आकार भारत सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। उपरोक्त योजना से जनपद हरिद्वार को भी लाभ मिलेगा। चूंकि योजना का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है अतः उसके स्वरूप से अवगत करना पूर्ण निर्णय के विवरण प्राप्त होने पर ही सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

न्यायालय सिविल जज, अवर खण्ड खटीमा जनपद ऊधमसिंह नगर के कार्यालय हेतु भूमि की व्यवस्था

* 6–श्री गोपाल सिंह राणा–

क्या न्याय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि न्यायालय सिविल जज, अवर खण्ड खटीमा, जनपद ऊधमसिंह नगर के कार्यालय हेतु भूमि की व्यवस्था की गयी है ?

यदि हां, तो क्या उक्त भूमि पर न्यायालय के भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

हां।

निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा आगणन उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में महर्षि वेद विज्ञान पीठम के आश्रमों में ठहरने वाले विदेशी नागरिकों के सम्बन्ध में

* 7–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या मुख्यमंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि सुरक्षा की दृष्टि से जनपद उत्तरकाशी में महर्षि वेद विज्ञान पीठम के आश्रमों में ठहरने वाले विदेशी नागरिकों की गतिविधियों की जानकारी सरकार को रहती है ?

यदि हां, तो किन–किन देशों के विदेशी नागरिक कितनी समयावधि के लिये किस प्रयोजन से आते हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों और क्या सरकार इसके लिए व्यवस्था करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां।

प्राप्त सूचना के अनुसार अमेरिका, जर्मन, आस्ट्रेलिया, कनाडा, हालैण्ड, इटली आदि देशों के महर्षि जी के अनुयायी कम से कम 6 माह तथा अधिक से अधिक 5 वर्ष की अवधि के लिये योग साधना व संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करने के लिये भारत में आते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल प्रदेश गठन के बाद मूल निवास प्रमाण–पत्र जारी किये जाने सम्बन्धी नीति

* 8–श्री हरिदास, श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री मदन कौशिक–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल प्रदेश गठन के बाद मूल निवास प्रमाण–पत्र जारी किये जाने हेतु कोई, नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो इसका विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

शासनादेश सं0–2588/एक–4/सा0प्र0/2001, दिनांक 20 नवम्बर, 2001 द्वारा स्थायी निवास प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के विषय में नीति निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

यह प्रमाण–पत्र उन्हीं व्यक्तियों को दिया जायेगा जो भारत के नागरिक हों तथा उत्तरांचल के सद्भाविक निवासी हों। इस श्रेणी में वह व्यक्ति आयेंगे, जिनका स्थायी आवास उत्तरांचल में हो। इसमें वे उत्तरांचल निवासी भी सम्मिलित होंगे जो उत्तरांचल में कम से कम 15 वर्ष से निवास कर रहे हों, अथवा जिनका उत्तरांचल में स्थाई आवास हो, किन्तु वे अपनी आजीविका के लिए प्रदेश से बाहर निवास कर रहे हों। स्थायी आवास का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जो उत्तरांचल में वैयक्तिक रूप से रह रहे हों/जिनका उत्तरांचल में पैतृक आवास हो।

स्थायी निवास प्रमाण–पत्र प्राप्त कराने के लिए आवेदक द्वारा इस आशय की घोषणा आवश्यक होगी कि उसने किसी भी प्रयोजन हेतु किसी अन्य राज्य का स्थायी निवास ग्रहण नहीं किया है।

बिन्दु–2 में की गयी व्यवस्था के अपवादस्वरूप विशिष्ट प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्तियों को भी उत्तरांचल का सद्भाविक निवासी माना जायेगा, जो राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त हों। केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तरांचल में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवायें उत्तरांचल से बाहर अस्थानान्तरणीय है, भी इस श्रेणी में शामिल होंगे। इस आशय का समुचित साक्ष्य आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में स्थायी निवास प्रमाण–पत्र की आवश्यकता उसी दशा में होगी, जहां किसी संस्था/पाठ्यक्रम विशेष के लिए उत्तरांचल के निवासियों के लिए सीटें/कोटा आरक्षित हो, इस संबंध में संबंधित विभाग द्वारा समय–समय पर यथा आवश्यकता आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

कतिपय सेवाओं यथा सेना, अर्द्धसैनिक बलों व पुलिस में विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए शारीरिक अर्हताओं में छूट की व्यवस्था है, जिसके लिए संबंधित विभागों द्वारा निर्धारित प्रमाण–पत्र पूर्ववत् चल रही प्रक्रिया के अनुसार जारी किये जाते रहेंगे और इन निर्देशों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्रश्न नही उठता।

राज्य की चीनी मिलों के सम्बन्ध में

* 9–श्री काजी निजामुद्दीन, श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में कुल कितनी चीनी मिलें हैं ?

इन मिलों पर किसानों का कितना रु0 बकाया है ?

क्या सरकार कृषकों के बकाया धनराशि का भुगतान करायेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

राज्य में कुल 10 चीनी मिलें हैं।

दिनांक 28–05–2002 तक पेराई सत्र 2001–2002 का राज्य की चीनी मिलों पर किसानों का गन्ना मूल्य के रूप में रु0 8642.26 लाख बकाया था।

जी, हां।

यथाशीघ्र भुगतान किये जाने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खनन नीति निर्धारित करने के सम्बन्ध में

* 10–श्री विजय पाल सिंह सजवाण–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खनन नीति निर्धारित कर दी गयी है ?

यदि नहीं, तो कब तक नीति निर्धारित कर दी जायेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां।

उत्तरांचल राज्य की खनिज नीति–2001 दिनांक 30 अप्रैल, 2001 को प्रख्यापित की गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तरांचल प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों में तदर्थ नियुक्त प्रवक्ताओं को नियमित करने के सम्बन्ध में

* 11–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी, श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में तदर्थ नियुक्त प्रवक्ताओं को नियमित किये जाने का मामला सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हां, तो कब तक इन प्रवक्ताओं को नियमित कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां।

परीक्षणोपरान्त यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद रुद्रप्रयाग के केदारनाथ विधान सभा क्षेत्र के शेष गांवों के विद्युतीकरण की जानकारी

1–श्रीमती आशा नौटियाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत कितने गांवों का विद्युतीकरण होना शेष है ?

क्या इन गांवों का विद्युतीकरण किया जायेगा ?

शेष गांवों का विद्युतीकरण कब तक किया जायेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत 14 ग्रामों का विद्युतीकरण होना शेष है।

जी हां।

वर्ष, 2007 तक योजनानुसार प्रत्येक गांव का विद्युतीकरण कर दिया जायेगा।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के ग्राम–अमोला, गड़व्योला आदि तथा ग्राम सभा चांदपुर में विद्युतीकरण के सम्बन्ध में

2–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के ग्राम–अमोला, गड़ब्योला, दावड़, हेमलेट गांव–कौंदा तथा ग्राम सभा–चांदपुर में अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है ?

यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में गांवों का विद्युतीकरण करायेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां।

जी हां।

यथाशीघ्र।

प्रश्न ही नहीं उठता।

रुद्रप्रयाग जनपद के विद्यापीठ (गुप्त काशी) में स्थित बन्द पड़ी आयुर्वेद फार्मेसी के फिर से संचालित करने के सम्बन्ध में

3–श्रीमती आशा नौटियाल–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रुद्रप्रयाग जनपद के विद्यापीठ (गुप्तकाशी) में स्थित बन्द पड़ी आयुर्वेद फार्मेसी को फिर से संचालित करने की कोई कार्य योजना विचाराधीन है ?

यदि हां, तो कब तक इस पर कार्यवाही की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

संस्था से कार्ययोजना का प्रस्ताव प्राप्त होने पर उस पर विचार करके यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

जनपद मुख्यालय रुद्रप्रयाग में महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में

4–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

प्रथम बुधवार के अता0 16 में स्थानान्तरित।

5–श्रीमती आशा नौटियाल–

प्रथम गुरुवार के अता0 52 में स्थानान्तरित।

6–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुख्यालय रुद्रप्रयाग में कोई महाविद्यालय है ?

यदि नही, तो क्या सरकार जनहित में उक्त स्थान पर महाविद्यालय खोलने पर विचार करेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

जी हां। मानकों के अनुरूप परीक्षणोपरान्त नियमानुसार विचार किया जायेगा।

यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के गांवों में बिजली की आपूर्ति बन्द होने के सम्बन्ध में

7–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के कई गांवों में बिजली की आपूर्ति किन कारणों से बन्द है ?

यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में आपूर्ति नियमित करने के लिए प्रभावी कदम उठायेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद पौड़ी विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के ग्रामों गट्टूगाँड, बिजनीबडी, डांगी, खेड़ा मल्ला और विघयाणी में ट्रांसफार्मर के क्षतिग्रस्त होने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित थी।

जी हां।

उक्त ग्रामों के ट्रांसफार्मर दिनांक 25–05–02 तक बदले जा चुके हैं जिससे विद्युत आपूर्ति सुचारु हो गयी।

प्रश्न नहीं उठता है।

8–श्री मदन कौशिक–

द्वितीय मंगलवार के अता0 1 में स्थानान्तरित।

हरिद्वार में महिला विज्ञान महाविद्यालय खोलने तथा विज्ञान स्नातक कोर्स प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में

9–श्री मदन कौशिक–

क्या मुख्यमंत्री को जानकारी है कि हरिद्वार विज्ञान स्नातक कोर्स में कोई महिला महाविद्यालय नहीं है ?

यदि हां, तो क्या सरकार महिलाओं के लिए विज्ञान स्नातक कोर्स में महिला विज्ञान महाविद्यालय खोलने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां।

मानकानुसार प्रकरण परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा में प्रेक्षागृह के निर्माण हेतु भूमि क्रय के सम्बन्ध में

10–श्री कैलाश शर्मा–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में प्रेक्षागृह बनाया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या प्रेक्षागृह के निर्माण के लिये भूमि क्रय की जा चुकी है ?

क्या यह कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां। अल्मोड़ा में प्रेक्षागृह/सांस्कृतिक परिसर के निर्माण हेतु 25 नाली भूमि का क्रय किया जा चुका है।

इस प्रेक्षागृह/सांस्कृतिक परिसर के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार से भी धनराशि प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। केन्द्र पोषित योजना के रूप में इस परिसर का निर्माण कार्य इस वित्तीय वर्ष में शुरू किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में निर्माणाधीन संग्रहालय तथा आडिटोरियम के सम्बन्ध में

11–श्री प्रकाश पन्त–

क्या सांस्कृतिक मंत्री बतायेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में संग्रहालय तथा आडिटोरियम निर्माणाधीन है ?

यदि हां, तो यह निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां। पिथौरागढ़ में संग्रहालय तथा प्रेक्षागृह निर्माण के अन्तिम चरण में हैं।

निर्माण कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

जनपद पिथौरागढ़ मुख्यालय में स्थित गोरखा राजाओं के पुरातात्विक दुर्ग में तहसील कार्यालय तथा आवासीय परिसर के सम्बन्ध में

12–प्रकाश पन्त–

क्या मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ मुख्यालय में स्थित गोरखा राजाओं के दुर्ग में तहसील कार्यालय तथा आवासीय परिसर बनाया गया है ?

यदि हां तो क्या पुरातात्विक महत्व की इस धरोहर के संरक्षण हेतु तहसील कार्यालय व आवासीय परिसर को अन्यत्र स्थानांतरित कर इसे अपने मूल रूप में लाने के सम्बन्ध में कोई कार्य योजना बनायी जायेगी ?

यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां।

जनपद पिथौरागढ़ मुख्यालय में स्थित गोरखा राजाओं के दुर्ग में तहसील कार्यालय एवं आवास स्थित है। एटकिन्सन के गजेटियर (वोल्यूम–3, पार्ट–2, पृष्ठ संख्या 405) तथा अपने मुल्क का भूगोल (1865 में तृतीय संस्करण में प्रकाशित) पंडित तारादत्त रचित, के अभिलेखों के आधार पर सन् 1791 में गोरखा राजाओं ने चन्द शासक को परास्त कर पिथौरागढ़ को अपने अधिकार में कर लिया था। सन् 1815 में अंग्रेजों ने गोरखा राजाओं से इसे अपने अधीन कर लिया था। उक्त तहसील मुख्यालय मूलतः गोरखा राजाओं द्वारा निर्मित था। परम्परा द्वारा विदित होता है कि अंग्रेजों ने इसे पुनः निर्मित कर लन्दन फोर्ड के रूप में प्रख्यापित किया। 08 अप्रैल, 1894 से उक्त फोर्ड में तहसील कार्यालय है, इसी में तहसीलदार का आवास भी है।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की हैरिटेज सम्पत्तियों के चिन्हीकरण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के गांवों में विद्युतीकरण के सम्बन्ध में

13–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या ऊर्जा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में कुल कितने गांवों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है ?

सरकार ऐसे गांवों का कब तक विद्युतीकरण करायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में कुल 4 ग्रामों का विद्युतीकरण शेष है जो इस प्रकार है :–

1. ध्यारी
2. रानीहाट
3. नूरलग्गा रसोली
4. गरवारी

यथासम्भव शीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में विद्युतीकरण के सम्बन्ध में

14–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या ऊर्जा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है ?

क्या सरकार ऐसे गांवों का विद्युतीकरण करायेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के 12 ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है।

जी हां।

उत्तरांचल में बाल्मीकि समुदाय के लोगों को स्थायी प्रमाण–पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में

15–श्री प्रकाश पन्त–

क्या मुख्यमंत्री को जानकारी है कि उत्तरांचल में बाल्मीकि समुदाय के नागरिक निवास करते हैं ?

यदि हां, तो क्या इस समुदाय के लोगों को निर्बाद रूप से स्थायी निवास प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाते हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां।

स्थायी निवास प्रमाण–पत्र शासन द्वारा शासनादेश सं0–2588/एक–4/सा0प्र0/2001, दिनांक 20 नवम्बर, 2001 में अन्तर्निहित नीति के अनुसार निर्गत किये जाते हैं, जो समस्त प्रदेश के सभी व्यक्तियों एवं वर्गों पर समान रूप से लागू हैं।

जनपद रुद्रप्रयाग में ग्राम त्यूखर, लस्या तथा ग्राम सिंराई आदि में विद्युतीकरण के सम्बन्ध में

16–श्री प्रकाश पन्त–

प्रथम शुक्रवार के अता0 38 में स्थानान्तरित।

17–श्री प्रकाश पन्त–

प्रथम शुक्रवार के अता0 39 में स्थानान्तरित।

18–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग में ग्राम त्यूखर, लस्या तथा ग्राम सिंराई, चौण्डा, मुरचौण्डा, पालीगाड़ में विद्युतीकरण का कार्य कई वर्षों से लम्बित है ?

यदि हां, तो कब तक ?

क्या सरकार उक्त ग्रामों में विद्युतीकरण की सुविधा प्रदान करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

राजस्वग्राम चौण्डा सिंराई के चौण्डा, मुरचौण्डा एवं पाली गाड़ उपग्राम हैं। इनका विद्युतीकरण मार्च, 95 में पूर्ण कर दिया गया था। ग्राम त्यूखर लस्या के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है एवं 30–6–02 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

अवशेष ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य 30–6–02 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत तथ्यूड़/धनोल्टी में 33 के0वी0 पावर हाउस निमार्ण के सम्बन्ध में

19–श्री कौंलदास–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल अन्तर्गत तथ्यूड़/धनोल्टी क्षेत्र के लिए 33 के0वी0 पावर हाउस का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत तथ्यूड़/धनोल्टी क्षेत्र के लिए 33 के0वी0 बिजली घर का निर्माण कार्य वर्ष 2002–2003 में प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

20–श्री प्रकाश पन्त–

द्वितीय मंगलवार के अता0 7 में स्थानान्तरित।

जनपद रुद्रप्रयाग के पट्टी भरदार में विद्युतीकरण के सम्बन्ध में

21–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम म्यूणा, चौण्डा, मुरचौण्डा, सिंराई, धोदड़, ग्वेफड़भुनका, पट्टी भरदार, जनपद रुद्रप्रयाग में विद्यतीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है ?

क्या यह सत्य है कि विद्युत वितरण खण्ड टिहरी गढ़वाल द्वारा विद्युतीकरण किये जाने में लापरवाही बरती गयी है ?

क्या सरकार जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

ग्राम म्यूणा चौड़, मुस्योन्ड एवं सिंराई के विद्युतीकरण का कार्य मार्च, 95 में पूर्ण हो गया था। ग्वेफड़ एवं भुनका के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है जिसके कि क्रमशः 15–6–2002 एवं 30–6–2002 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रमोद सिंह पुत्र श्री सरोप सिंह ग्राम थापला विकास खण्ड जखोली रुद्रप्रयाग की करंट से मृत्यु एवं मुआवजा के सम्बन्ध में

22—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रमोद सिंह पुत्र श्री सरोप सिंह ग्राम थापला पट्‌टी भरदार विकास खण्ड जखोली रुद्रप्रयाग की मृत्यु बिजली के करंट से दिनांक 25—5—1998 को हुई थी ?

यदि हां, तो स्व0 श्री प्रमोद सिंह की माता श्रीमती चौधरी देवी को विद्युत विभाग द्वारा मुआवजा दिया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

दिनांक 29—05—02 को श्रीमती चौधरी देवी को चैक द्वारा भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

शहीद स्थलों को राजकीय स्मारकों के रूप में विकसित करने की जानकारी

23—श्री प्रकाश पन्त—

क्या मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार राज्य के आन्दोलन के शहीद स्थलों को राजकीय स्मारकों के रूप में विकसित करेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां। राज्य आन्दोलन के विभिन्न शहीद स्थलों को स्मारकों के रूप में विकसित किये जाने की राज्य सरकार की योजना है।

इस योजना का क्रियान्वयन किये जाने हेतु प्रमुख शहीद स्थल, रामपुर तिराहे को भव्य स्मारक के रूप में विकसित किये जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य आन्दोलन के दौरान घायल व्यक्तियों के लिए राज्य आन्दोलन सम्मान पेंशन दिया जाना

24—श्री प्रकाश पन्त—

क्या मुख्यमंत्री बतायेंगे कि सरकार राज्य आन्दोलन के दौरान घायल व्यक्तियों के लिए राज्य आन्दोलन सम्मान पेंशन दिये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम मुन्याघर बांगर से चोपड़ा सिलगढ़ विकास खण्ड जखोली रुद्रप्रयाग में विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में

25–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मुन्याघर बांगर से चोपड़ा सिलगढ़ विकास खण्ड जखोली रुद्रप्रयाग में विद्युत लाइन कब क्षतिग्रस्त हुई थी ?

क्षतिग्रस्त उक्त विद्युत लाइन के लम्बे समय तक क्षतिग्रस्त रहने से हुई राजस्व की हानि की वसूली किससे और किस प्रकार की जायेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

यह लाइन वर्ष 1999 में अत्यधिक हिमपात के कारण क्षतिग्रस्त हुई थी।

इस लाइन से चोपड़ा गांव के 15 घरों को विद्युत आपूर्ति की जाती है। मात्र 15 संयोजन होने के कारण राजस्व हानि नगण्य है।

पिथौरागढ़ में नैनी–सैनी हवाई पट्टी के निर्माण के सम्बन्ध में

26–श्री प्रकाश पन्त–

क्या मुख्यमंत्री को जानकारी है कि पिथौरागढ़ में नैनी–सैनी हवाई पट्टी निर्माणाधीन है ?

यदि हां, तो इसका निर्माण कब से प्रारम्भ हुआ ?

वर्तमान में इसके निर्माण की क्या प्रगति है ? और यह कब तक तैयार हो जायेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां। हवाई पट्टी का निर्माण हो चुका है।

राइटस (रेल इण्डिया टेक्निकल एण्ड इक्नॉमिक सर्विसेज) द्वारा सितम्बर, 1991 में निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ तथा दिनांक 31–8–1998 को इसका, कब्जा नागरिक उड्डयन निदेशालय को मिला।

वर्तमान में पट्टी निर्मित है।

अधिवक्ता कल्याण कोष स्थापित करने की योजना के सम्बन्ध में

27—श्री प्रकाश पन्त—

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार वृद्ध, असहाय अधिवक्ताओं की सहायता के लिये अधिवक्ता कल्याण कोष स्थापित करने की योजना बना रही है ?

यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है तथा यह कब तक लागू हो जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उत्तरांचल राज्य में अभी उत्तरांचल बार कौंसिल के गठन की कार्यवाही विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में उक्त हेतु चुनाव की तिथि दिनांक 25—6—2002 निर्धारित की गयी थी, किन्तु मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया है। अतः उत्तरांचल बार कौंसिल के गठन के उपरान्त ही पृथक अधिवक्ता कल्याण कोष की स्थापना/सृजन की कार्यवाही पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

—तदैव—

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य आन्दोलनकारी शहीदों के सम्मान में भवनों, संस्थानों व मार्गों का नाम शहीदों के नाम पर रखे जाने की जानकारी

28—श्री प्रकाश पन्त—

क्या मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार उत्तरांचल राज्य आन्दोलनकारी शहीदों के सम्मान में महत्वपूर्ण भवनों, संस्थानों व मार्गों का नाम शहीदों के नाम पर रखा जाना शासन के विचाराधीन है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरकाशी जिले के बीरपुर डुण्डा में उद्योग विभाग द्वारा संचालित प्लान्ट को पुनः चालू करने सम्बन्धी जानकारी

29—श्री विजयपाल सिंह सजवाण—

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरकाशी जिले के बीरपुर डुण्डा में उद्योग विभाग द्वारा संचालित प्लांट को पुनः चालू करने की सरकार कोई योजना बना रही है ?

यदि हां, तो उक्त प्लांट कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां।

जनपद उत्तरकाशी के बीरपुर डुण्डा सहित प्रदेश में कुल 10 कार्डिंग प्लांट हैं। जिनके आधुनिकीकरण एवं पुनर्वासन हेतु चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सेक्टर की योजना में बीस लाख रुपये का प्राविधान रखा गया है। उक्त धनराशि के अन्तर्गत ही जनपद उत्तरकाशी में स्थित बीरपुर डुण्डा कार्डिंग प्लांट की मरम्मत एवं विद्युत देयों का भुगतान कर चालू वित्तीय वर्ष 2002–03 में ही चालू किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरकाशी में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रवक्ताओं के रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में

30–श्री विजय पाल सिंह सजवाण–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरकाशी स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रिक्त प्रवक्ताओं के पदों को भरने की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इन रिक्त पदों को कब तक भर लिया जायेगा ?

क्या सरकार छात्रहित में यहां पर पत्रकारिता, पर्यटन, बी0एड0, एल0एल0बी0 के संकायों को खोलने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर नियमित चयन हेतु अधियाचन राज्य लोक सेवा आयोग को भेजे जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

यथासमय।

प्रश्नगत महाविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा टूरिज्म एण्ड ट्रैवेल मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। पर्यटन, बी0एड0 तथा एल0एल0बी0 के संकाय को खोले जाने का सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही हैं।

उपरोक्तानुसार।

विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत मीटर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

31—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विद्युत विभाग द्वारा सभी विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत मीटर उपलब्ध कराये गये हैं ?

यदि नहीं, तो सरकार कब तक विद्युत मीटर हर उपभोक्ता को उपलब्ध करा देगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं।

मीटर उपलब्ध न होने के कारण कुछ ग्रामों में विद्युत संयोजनों पर मीटर नहीं लगाये जा सके हैं। वर्तमान में मीटर क्रय के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं और शीघ्र ही शेष संयोजनों पर मीटर लगा दिये जायेंगे।

जनपद उत्तरकाशी की लोहारी नाग, पालायासू विद्युत परियोजना की स्वीकृति की जानकारी

32—श्री विजय पाल सिंह सजवाण—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी की लोहारी नाग, पालायासू विद्युत परियोजना की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जनपद उत्तरकाशी में लोहारी नागपाला व पाला मेनेरी परियोजनाओं की स्वीकृति 10वीं पंचवर्षीय योजना काल में प्रदान की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में जिमनेजियम के निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

33—डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी—

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर में जिमनेजियम के निर्माण हेतु उ0 प्र0 शासन द्वारा 33.00 लाख रु0 स्वीकृति के विरुद्ध 14.00 लाख रु0 यू0जी0सी0 एवं 12.70 लाख रु0 राज्यांश धनावंटन प्राप्त हुआ था ?

क्या उत्तरांचल राज्य गठन के फलस्वरूप राज्यांश धनराशि 12.32 लाख रु0 फ्रीज हो गयी है ?

यदि हां, तो क्या सरकार इस अवशेष धनराशि को अवमुक्त किये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां।

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर के जिमनेजियम के निर्माण हेतु रु0 33.00 लाख का आगणन पुनरीक्षित कर रु0 42.30 लाख हो जाने के उपरान्त रु0 14.00 लाख विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं रु0 12.75 लाख राज्यांश के रूप में उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृत की गयी थी।

जी हां।

जी हां।

परीक्षणोपरान्त वित्त विभाग की सहमति से अवशेष धनराशि यथासमय अवमुक्त की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय महाविद्यालय जोशीमठ में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोलने के सम्बन्ध में जानकारी

34–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय महाविद्यालय, जोशीमठ में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोले जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

यदि हां, तो कब तक इस संबंध में निर्णय ले लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशक/विश्वविद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही नये संकाय/विषय खोले जाते हैं।

उत्तरांचल राज्य के विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की जानकारी

35–श्री मदन कौशिक–

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना हो गयी है ?

यदि हां, तो कहां।

यदि नहीं, तो क्यों।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

वर्तमान में सम्बन्धित कार्य आगरा, लखनऊ व चण्डीगढ़ स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं से कराया जा रहा है।

एक छोटा, पर्वतीय एवं कम अपराध क्षेत्र होने के कारण विधि विज्ञान प्रयोगशाला की अलग से स्थापना की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

सभी विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत मीटर उपलब्ध कराये जाने की जानकारी

36–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के अधिकांश ग्रामीण इलाकों में विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत बिल बिना मीटर लगाये दिया जाता है ?

क्या सरकार सभी उपभोक्ताओं को विद्युत मीटर उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ के राजकीय महाविद्यालय गंगोलीहाट के भवन निर्माण एवं प्रवक्ताओं की नियुक्ति की जानकारी

37–श्री नारायण राम आर्य–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि पिथौरागढ़ जनपद के राजकीय महाविद्यालय गंगोलीहाट के भवन का निर्माण तथा इस महाविद्यालय में प्रवक्ताओं की नियुक्ति कब तक हो जायेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

भूमि की व्यवस्था हो जाने पर यथासमय भवन का निर्माण तथा प्रश्नगत महाविद्यालय में नियमित चयनोपरान्त प्रवक्ताओं की नियुक्ति यथाशीघ्र की जायेगी। गत शैक्षिक सत्र में पठन–पाठन हेतु विजिटिंग फैकल्टी के माध्यम से 03 प्रवक्ताओं की वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी।

राज्य में परियोजनानुसार विद्युत शक्ति की कुल स्थापित क्षमता की जानकारी

38–काजी निजामुद्दीन–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करें कि राज्य में परियोजनानुसार विद्युत शक्ति की कुल स्थापित क्षमता कितनी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

राज्य में परियोजनावार विद्युत स्थापित क्षमता निम्न प्रकार है :–

(1 से 25 मेगावाट)

क्र0सं0	विद्युत गृह का नाम	स्थापित क्षमता (मे0वाट)
1.	पथरी	20.40
2.	मौहम्मदपुर	9.30
3.	ग्लोगी	3.00
4.	उरगम	3.00
5.	कनचौटी	2.00
6.	चिरकिला	1.50
7.	कौलागाड	1.20
8.	सोबला	6.00
9.	दुर्गापुर	1.15
	कुल :	47.55

(25 मेगावाट से अधिक)

1.	मनेरी भाली स्टेज–1	90.00
2.	चीला	144.00
3.	छिबरो	240.00
4.	खोदरी	120.00
5.	ढ़करानी	33.75
6.	ढालीपुर	51.00
7.	कुल्हाल	30.00
8.	रामगंगा	198.00
9.	खटीमा	41.40
10.	टनकपुर	120.00
	कुल :	1068.00
	महायोग :	1115.70

वित्तीय वर्ष 2001—2002 में विभिन्न विभागों द्वारा धनराशि का उपयोग न किये जाने की जानकारी

39—श्री प्रकाश पन्त—

क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 2001—2002 में 31 मार्च को वर्ष समाप्ति के समय किन—किन विभागों की धनराशि उपयोग में नहीं लाई जा सकी तथा कितनी धनराशि को पुनर्विनियोजित किया गया ?

क्या सरकार वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अपने विभाग का वार्षिक बजट समय पर उपभोग न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वित्तीय वर्ष 2001—2002 के वास्तविक व्यय के आंकड़े महालेखाकार से अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल के गांवों में महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी

40—श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के किन—किन गांवों में महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनायें चल रही हैं ?

क्या जिन गांवों में यह योजनायें चल रही हैं उन गांवों की महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में तुलनात्मक बढ़ोत्तरी हुई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग में आई0सी0डी0एस0 योजनान्तर्गत 3852 आंगनबाड़ी केन्द्र ग्राम स्तर पर संचालित है। जनपद देहरादून में 455, हरिद्वार में 543, चमोली में 182, पौड़ी गढ़वाल में 333, ऊधमसिंह नगर में 408, नैनीताल में 213, पिथौरागढ़ में 386, टिहरी गढ़वाल में 381, उत्तरकाशी में 290, अल्मोड़ा में 407 एवं बागेश्वर में 254 आंगनबाड़ी केन्द्र ग्राम स्तर पर संचालित हैं।

आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से गर्भवती/धात्री महिलाओं, किशोरी बालिकाओं एवं 06 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य संबंधी निम्न सेवायें दी जा रही हैं :—

(1) स्वास्थ्य जांच (2) स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा (3) प्रतिरक्षण/टीकाकरण (4) अनुपूरक पोषाहार (5) संदर्भ सेवायें (6) स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा (06 वर्ष तक के बच्चों हेतु)।

इसके अतिरिक्त कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें चिकित्सालय को संदर्भित किया जाता है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के पल्स पोलियो कार्यक्रम, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के आउटरीच सैशन आदि से आंगनबाड़ी कर्मियों का सक्रिय योगदान लिया जाता है। 06 वर्ष तक के 81173 बच्चे एवं 17241 गर्भवती/धात्री महिलाओं को माह अप्रैल, 2002 में लाभान्वित किया गया है।

उपरोक्त सेवाओं के माध्यम से सेवित ग्रामों की महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार हेतु विभाग प्रयासरत है। वर्तमान में स्वास्थ्य स्तर में आये राज्य स्तरीय परिवर्तनों संबंधी तुलनात्मक आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इस प्रकार का कोई सर्वे नहीं हुआ है।

नवीन स्वीकृत 45 बाल विकास परियोजनाओं में बेसलाइन सर्वे के साथ–साथ पुरानी 54 परियोजनाओं में स्वास्थ्य स्तर के तुलनात्मक सुधार का परीक्षण किया जाना विचाराधीन है

प्रश्न नहीं उठता।

रुद्रप्रयाग जनपद के अन्तर्गत विद्यापीठ गुप्तकाशी में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की जानकारी

41–श्रीमती आशा नौटियाल–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनता की व्यापक मांग पर रुद्रप्रयाग जनपद के अन्तर्गत विद्यापीठ गुप्तकाशी में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

यदि हां, तो कब तक महाविद्यालय स्थापित हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां।

मानकानुसार परीक्षणोपरान्त यथासमय विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत विकास क्षेत्र उखीमठ में विद्युतीकरण की योजना के सम्बन्ध में जानकारी

42–श्रीमती आशा नौटियाल–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत विकास क्षेत्र उखीमठ के दूरस्थ गांव रॉऊ–लैंक में विद्युतीकरण की कोई कार्य योजना शासन के विचाराधीन है ?

यदि हां, तो विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

विकास क्षेत्र उखीमठ के दूरस्थ गांव रॉऊ–लैंक में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। किन्तु इस क्षेत्र में अत्यधिक हिमपात होने के कारण एच0टी0 लाइन क्षतिग्रस्त होने से विद्युत आपूर्ति बाधित है।

उक्त कार्य जिला योजना के माध्यम से इसी वित्तीय वर्ष 2002–03 में पूर्ण कर विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युतीकृत ग्राम पंचायतों के अधिकांश तोकों में विद्युतीकरण न होना

43–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युतीकृत ग्राम पंचायतों के अधिकांश तोकों में विद्युतीकरण नहीं किया गया है ?

क्या सरकार इन छूटे हुए तोकों में विद्युतीकरण करायेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां।

जी हां।

वर्ष–2007 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

44–काजी निजामुद्दीन–

द्वितीय शुक्रवार के अता0 13 में स्थानान्तरित।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

उ0 प्र0 विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य एवं स्वतंत्रता सेनानी श्री शिव नारायण सिंह नेगी के निधन पर शोकोद्गार

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

मान्यवर, मुझे आपके द्वारा सदन को यह सूचित करते हुए अत्यन्त ही विषाद और खेद हो रहा है कि प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सदन के पूर्व सदस्य श्री शिव नारायण सिंह नेगी जी का 29 अप्रैल, 2002 को निधन हो गया है।

स्वर्गीय श्री शिव नारायण सिंह नेगी, पुत्र स्वर्गीय श्री धन सिंह नेगी का जन्म 11 अगस्त, 1914 में ग्राम डेलकूना नथुवाखान, मल्ली कुटौली, नैनीताल में हुआ था। मिशन स्कूल अल्मोड़ा जूनियर हाई स्कूल से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। सन् 1930 में

नथुवाखान उनके स्थित घर पर तोड़–फोड़ की गयी उसके बाद से ही स्वतंत्रता आन्दोलन में वे सक्रिय रहे। श्री जोगेन्द्र सिंह साहब, डिप्टी मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी के न्यायालय से दिनांक 20–01–1941 को डेढ़ वर्ष की डी0आई0आर0 की सजा सुनाई गई जिसमें चुनार जेल में गये तथा उसके बाद सुल्तानपुर जेल में 21–08–1941 से 22–12–1941 तक रहे।

वे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को–आपरेटिव बैंक के सन् 1957 से 1968 तक उप सभापति, सन् 1968 से 1970 तक प्रबन्धक संचालक, सन् 1970 से 1975 तक सभापति सन् 1981 से 1983 तक सभापति, सन् 1983 से 1988 तक प्रशासक, सन् 1988 से 17–09–1992 तक सभापति तथा दिनांक 09–07–1993 से 15–09–1994 तक सभापति रहे।

आप उत्तर प्रदेश फूड फेडरेशन के दिनांक 28–03–1996 से 28–03–1999 तक अध्यक्ष रहे।

उत्तर प्रदेश सहकारी संघ लि0, लखनऊ के सन् 1975 से 1978 तक संचालक, सन् 1990 से 1993 तक संचालक रहे।

सन् 1982 से 1984 तक कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष, सन् 1981 से 1985 तक नैनीताल विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा, उत्तर प्रदेश में विधायक रहे।

विदेश भ्रमण के सम्बन्ध में स्वर्गीय श्री नेगी जी राष्ट्रीय सहकारी विकास संघ, नई दिल्ली द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय स्टडी प्रोग्राम में सांसद दलीप सिंह घुरिया के नेतृत्व में 30 अक्टूबर, 1981 से 28 नवम्बर, 1981 तक जर्मनी, पेरिस, जापान, डोगर लन्दन, वाशिंग्टन, लॉस विगास, सैन फ्रैन्सिसको, हांगकांग भ्रमण किया तथा 29 नवम्बर को दिल्ली, भारतवर्ष वापस आये।

सामाजिक कार्य के क्षेत्र में स्वर्गीय श्री नेगी हल्द्वानी में स्वराज आश्रम जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के निर्माण में सहयोग, स्वराज आश्रम में ही महात्मा गांधी जी, जवाहर लाल नेहरू जी व इन्दिरा गांधी जी की मूर्तियों की स्थापना तथा स्वराज आश्रम के पास ही अपने स्वर्गीय पिताजी व स्वर्गीय चाचा जी की स्मृति में एक रैन–बसेरा का निर्माण कराया गया।

दिनांक 29 अप्रैल, 2002 को स्वराज आश्रम हल्द्वानी, तहसील हल्द्वानी में रात्रि 10.15 बजे श्री शिव नारायण सिंह नेगी जी का देहावसान हुआ।

उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक आवास नथुवाखान तहसील व जिला नैनीताल ले जाया गया। दिनांक 30–04–2002 को सुबह 10.50 मिनट पर उनके पार्थिव शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिया गया। अन्तिम संस्कार देवदार तहसील जिला नैनीताल में हुआ। श्री नेगी जी अपने पीछे अपना परिवार छोड़ गये हैं जिसमें उनकी पत्नी, सात पुत्र तथा पांच पुत्रियां हैं।

मान्यवर, मैं व्यक्तिगत रूप से स्व0 नेगी जी के कार्य–कलापों से प्रेरित रहा हूं। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं और सदन से आग्रह करता हूं कि वे अपनी संवेदनाएं प्रकट करें।

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, स्व0 नेगी जी भारतीय राजनीति में और विशेष कर उत्तरांचल की राजनीति में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका पूरा का पूरा परिवार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और इतना होते हुए भी आप बहुत ही सादगी के साथ अपना जीवन यापन करते थे। गढ़वाल के विषय में तो मुझे जानकारी नहीं हैं, लेकिन कुमायूं के अन्दर सहकारिता में उनकी अपनी धाक है, उसमें उन्होंने काफी काम किया है। सहकारिता में लोगों को उनसे काफी कुछ सीखने को मिला। वे इतने लम्बे समय तक को–आपरेटिव में अध्यक्ष रहे, विधायक रहे, फिर भी उनके अन्दर सादगी भरी हुई थी। को–आपरेटिव के अन्दर निश्चित रूप से उन्होंने जो प्रयास किये, वे सराहनीय हैं। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, यह बड़े दुःख का विषय है मैं अपनी ओर से स्व0 शिव नारायण सिंह नेगी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं बरसों तक उनके साथ रहा। वे एक महान समाज सेवी, स्वतंत्रता सेनानी, स्पष्ट वक्ता और बड़े स्वाभिमानी थे। मुझे इस सदन में यह कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं है कि अगर उनको राज्य सभा, लोक सभा, विधान परिषद् में अगर आज उनको नामित करने की बात होती तो शायद वे मना कर देते कि उन्हें सहकारिता के क्षेत्र में ही कार्य करने दिया जाय। को–आपरेटिव का जो काम है जब–जब जनता इससे लाभान्वित होगी, तब–तब स्व0 शिव नारायण सिंह नेगी जी को याद किया जायेगा। मैं इस सदन के माध्यम से, अपनी पार्टी के माध्यम से, दिल से उन्हें नमन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को इस संकट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि उनकी स्मृति में कुछ ऐसा कार्य हो, जिससे हम जन्म–जन्मान्तर तक उस महान व्यक्ति को याद रख सकें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी ने स्वर्गीय श्री शिव नारायण सिंह नेगी जी के निधन के बारे में जो भावनाएं व्यक्त की हैं उससे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि 29 अप्रैल, 2002 को माननीय नेगी जी हमारे बीच से अचानक चले गये और इत्फाक की बात है कि मुझे इसकी सूचना माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से पिथौरागढ़ में प्राप्त हुई। आप उनके सानिध्य में रहे होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत दुःखी थे ऐसा मैंने महसूस किया। मान्यवर, स्वर्गीय श्री नेगी जी उन हजारों और लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक थे जिनके कारण हमारे देश को आजादी मिली और हमें एक लोकतंत्र मिला। यहीं नहीं मैं जितने समय उनके सम्पर्क में रहा 1980–81 में वह विधायक चुनकर आये थे और हम उस समय छात्र नेता थे और हमारे ऊपर मुकदमें चलते रहते थे। उस समय कुमाऊं विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को हटाने का मामला था और माननीय तिवारी जी केन्द्र में मंत्री थे। उस सिलसिले में हमें आना–जाना पड़ता था। श्री नेगी जी गाँधियन विचार धारा के थे। उनका जो आचरण था और उस पीढ़ी के जो बचे–खुचे लोग

हैं उनमें वह एक अग्रणी प्रतिनिधि के रूप में थे। उनका बहुत सादा जीवन था। बहुत ही सादा आचरण और व्यवहार था और वह खरी बात कहते थे। उनके जीवन में गाँधीयन विचारों का समावेश था। मान्यवर, आज उस पीढ़ी के लोग हमारे बीच से जा रहे हैं। उनका जीवन प्रेरणास्रोत रहा है। उनके गुजर जाने के बाद उस पीढ़ी के एक मूर्धन्य स्तम्भ आज हमारे बीच में नहीं हैं। समाज सेवा के साथ ही साथ सहकारी आंदोलन में उनकी बहुत रूचि थी। इसलिए उनके निधन से हम बहुत दुःखी हैं इसलिए मैं अपनी ओर से अपने दल की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार को हमारे शोक संवेदना के भाव उनके पारिवारिक जनों तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री बलवीर सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी स्वर्गीय श्री शिव नारायण सिंह नेगी जी, जो आजादी की जंग के सिपाही थे और इन्कलाबी योद्धा थे। जिन्होंने गांधी दर्शन के साथ ही साथ सहकारिता आन्दोलन में भी एक प्रमुख भागीदारी निभायी। अपने जीवन काल में, सहकारिता के प्रति उनकी जो पैनी दृष्टि रही उससे पूरे समाज को प्रेरणा मिलती रहेगी।

मान्यवर, मैं अपनी ओर से अपने दल की ओर से स्वर्गीय श्री शिव नारायण सिंह नेगी जी के आकस्मिक निधन को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आग्रह करूंगा कि हमारी भावनाओं को उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बसपा, माननीय नेता उत्तराखण्ड क्रान्ति दल और माननीय नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस ने स्वर्गीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पूर्व विधायक के देहावसान पर जो संवेदना व्यक्त की मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे प्रदेश और देश की धरोहर थे, और उनसे हमें प्रेरणा मिली है, मार्गदर्शन मिला है, ऊर्जा मिली है और आज हमारे बीच में एक समर्पित सेवक और गांधीवादी विचारधारा के श्री शिव नारायण सिंह नेगी नहीं रहे, यह बड़े दुःख की बात है। मुझे उनके नेतृत्व में मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर भी मिला। राजनीति के क्षेत्र में उनकी बहुत उल्लेखनीय भूमिका रही। कई सालों से वह जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन रहे और उत्तर प्रदेश में सहकारिता को मजबूती देने में महत्वपूर्ण काम किया और यह भी सच है कि सहकारिता के क्षेत्र में उन्हें भीष्म पितामह बोलते हैं। इसके अलावा राजनीतिक क्षेत्र में कांग्रेस के एक सिपाही के रूप में कई वर्षों तक काम किया और जिन्दगी के अन्तिम क्षणों तक कांग्रेस के लिए काम करते रहे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने काम किया। कांग्रेस के टिकट पर उन्हें उत्तर प्रदेश की असेम्बली में काम करने का अवसर मिला।

श्री शिव नारायण सिंह नेगी की मृत्यु से जो नुकसान हुआ है, उसकी पूर्ति होना भी सम्भव नहीं है। मैं इस अवसर पर, अपनी ओर से तथा सदन की ओर से शोक संतृप्त परिवार को हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस दुखद

घड़ी में शोक संतृप्त परिवार को बल दे। यहां पर माननीय सदस्यों द्वारा जो शोक संतृप्त परिवार के प्रति शोकोद्गार व्यक्त किये हैं उनको मैं स्व0 नेगी जी के परिवार तक पहुंचा दूंगा।

अब हम दो मिनट के मौन के लिए खड़े होते हैं।

(दो मिनट का मौन)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 301 के अन्तर्गत कुल 6 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से 5 स्वीकार की जाती हैं। श्री सुबोध उनियाल, श्री बिजय बड़थ्वाल, श्री महेन्द्र भट्ट, श्री प्रकाश पन्त, श्री बिशन सिंह चुफाल।

डूब क्षेत्र के विस्थापितों के लिए बनी आवासीय कालोनी में टी0 एच0 डी0सी0 द्वारा आवंटित भवनों के आवंटियों द्वारा घरेलू कनेक्शन का व्यावसायिक उपयोग की जांच के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में एक अति महत्वपूर्ण सूचना लाना चाहता हूं डूब क्षेत्र के विस्थापितों के लिए बनी आवासीय कालोनी में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेन्ट कारपोरेशन द्वारा आवंटित भवनों के आवंटियों द्वारा बिजली विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की मिली भगत से मानक से कम भार के घरेलू बिजली कनेक्शन लेकर के उसका व्यवसायिक उपयोग करके सरकार को लाखों रुपये की हानि पहुंचायी जा रही है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उक्त आवासीय योजना के अन्तर्गत बने भवनों के बिजली कनेक्शन की जांच सरकार कराने का कष्ट करें तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करने का कष्ट करें, ताकि प्रदेश को हो रहे लाखों रुपये के राजस्व की हानि से बचाया जा सके।

डूब क्षेत्र के विस्थापितों के लिए टी0 एच0 डी0 सी0 की आवासीय कालोनी के भवनों के आवंटन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में एक अति महत्वपूर्ण सूचना लाना चाहती हूं कि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा डूब क्षेत्र के विस्थापितों को आवासीय तथा व्यावसायिक दुकानों का आवंटन नेहरू पुरम आवासीय योजना के अन्तर्गत किया गया है, परन्तु जिस उद्देश्य के लिए इन भवनों का आवंटन किया गया था, उसके उद्देश्य की पूर्ति आवंटियों द्वारा नहीं की जा रही है। अपितु इन भवनों को व्यावसायिक तौर पर प्रयोग किया जा रहा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जो व्यक्ति इसके लिए पात्र हैं, उन्हें उक्त

योजना के लिए भवन आवंटित नहीं किये गये, बल्कि भवन माफियाओं एवं अधिकारियों की मिली भगत से अपात्र व्यक्तियों को मानक के विपरीत भवनों का आवंटन किया गया जिसके कारण पूरे डूब क्षेत्र के पात्र व्यक्तियों में घोर रोष उत्पन्न है। अतएव मैं सरकार से मांग करती हूं कि उक्त आवासीय योजना के तहत आवंटित भवनों में हुई अनियमितताओं की जांच सरकार करने का कष्ट करें तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करें तथा मानक के विपरीत एक से अधिक आवंटित भवनों को निरस्त करने का कष्ट करें।

जनपद चमोली में हुई ओलावृष्टि से गेहूं की फसल एवं फलों के नुकसान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान 6 मई तथा 24 मई, 2002 को जनपद चमोली में हुई भयंकर ओलावृष्टि से गेहूं की फसल एवं फलों के नुकसान की ओर दिलाना चाहता हूं। ओलावृष्टि के कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र के दो विकास खण्ड पोखरी एवं घाट में अनेकों गांवों में गेहूं की खड़ी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। अखरोट, पौलम एवं नाशपाती के पेड़ों को अपूर्णय क्षति हुई है। परिणाम स्वरूप गांवों की जनता को काफी आर्थिक क्षति हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इन दोनों विकास खण्डों में ओलावृष्टि से हुई क्षति के बाबत सरकार ग्रामीण जनता को आर्थिक सहायता प्रदान करें।

जनपद पिथौरागढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में ओलावृष्टि के कारण, मोटर मार्ग अवरूद्ध, भवन एवं खड़ी फसलें नष्ट हो जाने से जनजीवन अस्त-व्यस्त होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, विगत दिनों ओलावृष्टि तथा अतिवृष्टि के कारण जनपद पिथौरागढ़ के विभिन्न क्षेत्रों की खड़ी फसल तथा फलों के वृक्ष क्षतिग्रस्त हो गये। विकास खण्ड विण में स्थित रा0ई0का0 गोरंगचौड़ का भवन नष्ट हो गया। विभिन्न मोटर मार्ग अवरुद्ध व क्षतिग्रस्त हो गये हैं। पेयजल, लाइनें, सिंचाई नहरें टूट जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। प्रभावित नागरिकों को अपेक्षित सहायता न मिल पाने से जन आक्रोश व्याप्त है। अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।

जनपद पिथौरागढ़ में पन्द्रपाल पेयजल योजना बन्द होने से पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ के राणा, बजेता, पांगरपानी कोटाखड़िग, राजकीय उ0 मा0 विद्यालय पन्द्रपाल पेयजल योजना बन्द होने से क्षेत्र की 5,000 जनता में पेयजल संकट बना हुआ है। क्षेत्रों की जनता द्वारा बार–बार विभाग को लिखने के बाद भी आज तक पेयजल उपलब्ध नहीं कराया गया है। 3 किलोमीटर की दूरी चढ़ायी पार कर भुजगढ़

नदी से पानी पी रहे हैं। पेयजल के संकट को देखते हुए लोगों ने पालतू पशु गाय, भैंस पालना बन्द कर दिया है। जो लोगों का मुख्य व्यवसाय है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर कार्यवाही की जाय।

उत्तरांचल पंचायत अध्यादेश, 2002

पंचायतीराज, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल पंचायत अध्यादेश, 2002 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तरांचल विनियोग (2001–2002 का अनुपूरक) विधेयक, 2002

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तरांचल विनियोग (2001–2002 का अनुपूरक) विधेयक, 2002 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2002 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 21 मार्च, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2002 का पहला अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2002

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2002 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2002 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 21 मार्च, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2002 का दूसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कृषि मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2001 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 11 अप्रैल, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2002 का तीसरा अधिनियम बन गया।

देव संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, 2002

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2002 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 11 अप्रैल, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2002 का चौथा अधिनियम बन गया।

नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर संविधान के अनुच्छेद 151(2) का उल्लंघन होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, नियंत्रक महालेखाकार द्वारा मार्च, 2002 को राज्य सरकार के सम्मुख प्रस्तुत रिपोर्ट को सरकार द्वारा दिनांक 26 मई, 2002 को सार्वजनिक कर दिया गया। जिस कारण संविधान के अनुच्छेद 151(2) का उल्लंघन हुआ है। अतः इस प्रश्न पर विनिश्चय की मांग करता हूं। मान्यवर, संविधान का अनुच्छेद 151(2) स्पष्ट लिखता है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को उस राज्य के राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा। मान्यवर, यह संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन है। सभी समाचार–पत्रों में छपा। निश्चित रूप से सरकार संविधान का उल्लंघन करने पर तुली हुई है।

प्रौद्योगिकी एवं संसदीय कार्य मंत्री (डा0 श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं बड़ी आभारी हूं कि माननीय सदस्य द्वारा संविधान की धाराओं का गहन अध्ययन किया गया है। लेकिन मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि अनुच्छेद 151(2) में क्या लिखा है, जो कि उन्होंने स्वयं कह दिया है। इसके नियम होते हैं। वह पुस्तिका जो राज्य के आडिट आपत्तियों के निराकरण न होने के कारण बनायी जाय, प्रतिवेदन कहलाती है। यह राज्य के राज्यपाल के पास जाती है और संसद में राष्ट्रपति के पास जाती है, वह सदन के पटल पर रखा जाता है। प्रतिवेदन और विभागीय आपत्तियों में बड़ा अन्तर होता है। इसकी तीन श्रेणियां होती है। जैसे शासन स्तर पर या बहुत निचले स्तर पर या आडिटरों द्वारा लगाई गई आपत्तियां। यह उन परिस्थितियों में प्रश्न पैदा होता जब राज्य का कोई प्रतिवेदन उस राज्य के द्वारा बनाया जाता है, उसे राज्य के राज्यपाल के समक्ष रखा जाता है तथा राज्य के विधान मण्डल के समक्ष रखवाया जायेगा। जो विभागीय आडिट आपत्तियाँ होती हैं उन्हें प्रेस के लोग पूछते हैं। हमारी सरकार एक पारदर्शी सरकार है, उसे प्रेस को उत्तर देने में कोई आपत्ति नहीं है। मान्यवर, अभी तो प्रतिवेदन की कोई नौबत आयी ही नहीं। आपको बधाई हो कि अनुच्छेद 151(2) बना। लेकिन यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीया संसदीय कार्य मंत्री जी मेरा ज्ञानवर्धन कर रही थीं, इसके लिए धन्यवाद। यदि सरकार यह कह दे कि 27 मई के समाचार–पत्रों में जो रिपोर्ट सरकार ने घोषित की है, वह रिपोर्ट दूसरी है। पिछले सदन में यह विषय उठा था और माननीय नेता सदन द्वारा निश्चित रूप से सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि सदन के अन्दर उठे इस विषय की जांच हम महालेखाकार से करायेंगे। तो वह रिपोर्ट सदन के पटल पर आनी चाहिए थी किन्तु उसको सार्वजनिक कर दिया गया। मान्यवर, इस सदन की अपनी गरिमा है। इस सदन के सदस्यों को यह जानने का अधिकार था कि उस रिपोर्ट में क्या था। या तो संसदीय कार्य मंत्री या ट्रेजरी बैंच यह कह दें कि 27 मई को जो रिपोर्ट जारी की गयी, वह कोई दूसरा पत्र है। अन्यथा यह सदन की अवमानना है और संविधान की धारा का उल्लंघन है।

डा0 श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, संविधान की धारा का उल्लंघन नहीं हुआ है। मैं यह कहना चाहती हूं कि कोई आडिट रिपोर्ट नहीं हुई है। जब कोई प्रतिवेदन है ही नहीं तो उसको प्रस्तुत करने का सवाल कहां पैदा होता है। इसलिए इस विषय में औचित्य का प्रश्न नहीं बनता।

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, कई अखबारों में वह रिपोर्ट प्रकाशित हुई है लेकिन अगर माननीया संसदीय कार्य मंत्री अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर कह रही हैं कि रिपोर्ट नहीं आयी तो हम उसको चुनौती क्यों देंगे ?

डा0 श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यदि अखबार का संज्ञान लेकर कोई प्रश्न किया जाता है तो मुझे लगता है कि माननीय सदस्य को संविधान का और अधिक अध्ययन करने की जरूरत है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, हम इस सदन के सदस्य हैं और महालेखाकार की रिपोर्ट तो हम प्राप्त नहीं कर सके। लेकिन सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि वह महालेखाकार की रिपोर्ट नहीं थी, इसलिए हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना को मैं अस्वीकार करता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 01 जून, 2002 की बैठक में दिनांक 03 जून, 2002 से 14 जून, 2002 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की :–

03 जून, 2002 सोमवार	(1) औपचारिक कार्य : (क) उत्तरांचल पंचायत अध्यादेश, 2002 (2) वित्तीय वर्ष 2002–2003 का आय–व्ययक प्रस्तुत किया जाना।
04 जून, 2002 मंगलवार	(1) वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा।
05 जून, 2002 बुधवार	(1) वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा।
06 जून, 2002 गुरुवार	(1) वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा।

07 जून, 2002 शुक्रवार

(1) असरकारी संकल्पों पर चर्चा (आधा दिन) :

(क) श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री प्रकाश पन्त, श्री सुरेश चन्द्र जैन, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत– "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधायकों को विधायक निधि के रूप में मिलने वाली विवेकाधीन विकास निधि को 75 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया जाय।"

(ख) श्री मदन कौशिक–"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि हरिद्वार में अर्ध कुम्भ, 2004 में अस्थाई निर्माण के स्थान पर स्थायी कार्य कराये जायें।"

(ग) श्री मातबर सिंह कण्डारी–"इस सदन का सुविचारित मत है कि उत्तरांचल राज्य के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के लिये उद्योगों का जाल बिछाये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायें।"

(घ) श्री प्रकाश पन्त–"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल में पंचायतों, नगर पालिकाओं तथा महानगर क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान के अनुच्छेद 40 तथा संविधान के 73वें व 74वें संशोधन के अनुरूप अनुच्छेद 243(क) से 243 य च के प्रावधानों के अनुसार विधि इसी सत्र में बना ली जाय।"

(ङ) श्री काशी सिंह ऐरी, श्री बलवीर सिंह नेगी, श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, श्री नारायण सिंह जंतवाल, श्री प्रीतम सिंह पंवार–"यह सदन संकल्प व्यक्त करता है कि सबके लिए शिक्षा योजना की भांति प्रदेश में सबके लिए स्वास्थ्य योजना बना कर प्रदेश के दूरस्थ एवं असेवित क्षेत्रों को भी स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने हेतु तुरन्त कदम उठाये जायं।"

08 जून, 2002 शनिवार — बैठक नहीं होगी।

09 जून, 2002 रविवार — बैठक नहीं होगी।

10 जून, 2002 सोमवार — विभागवार अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान।

11 जून, 2002 मंगलवार — विभागवार अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान।

12 जून, 2002 बुधवार — विभागवार अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान।

13 जून, 2002 गुरुवार
(1) विभागवार अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान।
(2) शेष विभागों के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान।
(3) उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2002 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन पर, उस पर विचार एवं उसका पारण।

14 जून, 2002 शुक्रवार
(1) असरकारी दिव ।
(2) विधायी कार्य (सायं 5.00 बजे)

प्रौद्योगिकी एवं संसदीय कार्य मंत्री (डा0 श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, कार्य मंत्रणा की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा आज सदन में दी गयी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है, उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 के अन्तर्गत कुल सात सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री काशी सिंह ऐरी जी की है, मैं उन्हें बोलने की अनुमति देता हूं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम 56 के अन्तर्गत जो सूचना मैंने दी है वह अविलम्बनीय है और पूरे प्रदेश के लोगों से जुड़ी हुई समस्या है। पूरे प्रदेश के बेरोजगार कर्मचारी, शिक्षक सबके बीच में बहुत ज्यादा बेचैनी, आक्रोश व्याप्त है। एक तरफ प्रशिक्षित बेरोजगार आन्दोलन चला रहे हैं, जो अनियमित कर्मचारी हैं चाहे वे शिक्षा मित्र हों, शिक्षा बंधु हों वे अपने को नियमित किये जाने के लिए, समायोजित किये जाने के लिए आन्दोलन चला रहे हैं। सरकार ने अभी रोजगार के लिए कोई नीति, कोई योजना नहीं बनाई है। जो तदर्थ, संविदा के कर्मचारी हैं उनको किस तरह से हम नियमित करेंगे इसके लिए कोई योजना नहीं बनाई गयी है। जिसके कारण पूरे प्रदेश में न केवल बेरोजगार, बल्कि प्रशिक्षित बेरोजगार भी आन्दोलनरत हैं। मान्यवर, एक तरफ तो यह स्थिति है और दूसरी तरफ हम चाहते थे कि उत्तर प्रदेश के जितने भी विकल्पधारी हैं उनको अविलम्ब वापस भेजकर उनसे जो स्थान रिक्त होंगे, उन स्थानों पर जो संविदा या तदर्थ कर्मचारी हैं, उनको नियमित नियुक्ति दी जाये। यह इस सरकार की नीति थी। चुनाव के समय उदार

दिल होकर इस सरकार के नेताओं ने कहा था कि 24 घंटे के अन्दर हम उत्तर प्रदेश के विकल्पधारियों को उत्तर प्रदेश वापस भेज देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमने प्रयास किया। मैं इससे असहमत नहीं हूं। राज्य पुनर्गठन विधेयक में व्यवस्था है कि यदि दो सरकारों के मध्य कोई विवाद हो जाता है तो केन्द्र सरकार उसे सुलझायेगी। उत्तरांचल सरकार को केन्द्र सरकार से शिकायत करनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं यह माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के विभाग से संबंधित है। एक तरफ हम इस बात से परेशान हैं कि उत्तर प्रदेश के विकल्पधारियों को उत्तर प्रदेश वापस नहीं ले रहा है, लेकिन जिन कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश वापस लेना चाहते हैं, उन्हें हम छोड़ नहीं पा रहे हैं या छोड़ना नहीं चाहते। अभी एक पत्र आया था कि उत्तर प्रदेश अपने इन–इन सहायक अभियन्ताओं और कई अवर अभियन्ताओं को अपने यहां लेने के लिए तैयार है।

हम तो आशा लगाये बैठे थे कि पुलिस विभाग में तथा शिक्षा विभाग में और अन्य विभागों में जो उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी हैं वे यहां से चले जायेंगे और उनके स्थान पर जो हमारे बेरोजगार तथा प्रशिक्षित व्यक्ति हैं उन्हें रोजगार मिलेगा। परन्तु बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक वो विकल्पधारी उत्तर प्रदेश नहीं गये बल्कि चोरी छिपे यहां डेपुटेशन पर लोगों को बुलाया जा रहा है। पुलिस विभाग में डेपुटेशन पर बुलाया जा रहा है, वन विभाग तथा जल निगम में चोरी छिपे बुलाया जा रहा है जबकि विकल्पधारियों की एक तिथि निश्चित कर दी गयी थी परन्तु अधिकारी मनमाने तरीके से विकल्प की तिथि के बाद भी लोगों को डेपुटेशन पर यहां बुला रहे हैं। इसलिए सरकार इसे गंभीरता से ले और जो हमारे प्रशिक्षित बेरोजगार नवयुवक हैं उन्हें यहां रोजगार दिलाया जाय।

माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो आपत्तियां उठायी हैं और शिक्षा मित्र तथा शिक्षा बन्धु के बारे में जो बात कही है उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि हम अभी दो हजार पदों की नियुक्ति निकाल रहे हैं जिसमें से बारह सौ पद गढ़वाल मण्डल के लिए और आठ सौ पद कुमाऊं मण्डल के लिए एल0टी0 ग्रेड के लिए। इसमें हमने आग्रह किया है कि शिक्षा बन्धु भी इसमें आवेदन करें और जो भी मेरिट के आधार पर आयेगा उसे नियुक्ति दी जायेगी और बाकी जितने शिक्षा बन्धु रह जायेंगे वह पूर्ववत् तरीके से कार्य करते रहेंगे। हम उन्हें बाहर नहीं कर रहे हैं। जहां तक विकल्पधारियों की बात है आज उत्तर प्रदेश में बी0जे0पी0 और बी0एस0पी0 की गठबंधन की सरकार है और खुद ही उत्तर प्रदेश सरकार ने उनसे विकल्प भरवाये थे, अब उनका यह नैतिक कर्तव्य है कि वह विकल्पधारियों को लेकर अपने यहां समायोजित करें और आप लोग भी इसमें हमारा सहयोग करें। हम तो आज ही उन्हें कार्यमुक्त करने को तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस संबंध में दो बार वार्ता कर चुके हैं और अब वहां सरकार का गठन हो चुका है और मेरे सामने बैठे सहयोगियों से भी अनुरोध है कि वह वहां की सरकार पर दबाव बनाये कि विकल्पधारियों को वह अपने यहां समायोजित कर लें और नैतिक जिम्मेदारी निभाये।

मान्यवर, शिक्षा विभाग के 95 कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश के लिए कार्य मुक्त कर दिया है। जिन्होंने उत्तर प्रदेश की मांग पर मूल निवास होने के कारण विकल्प दिया था तो उनकी नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से वार्ता चल रही है। अभी कुछ दिन पहले हमारी मुलाकात भारत सरकार के शिक्षा सचिव से हुई, मैंने उनसे भी आग्रह किया कि वे इस स ंध में हमारी पीड़ा को समझें। उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि वह तुरन्त उत्तर प्रदेश के शिक्षा सचिव और उत्तरांचल के शिक्षा सचिव अपनी अध्यक्षता में लाकर समाधान निकालेंगे। उम्मीद है जल्द ही समाधान निकलेगा।

डा0 श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने कहा कि विकल्प विभाग में कुछ लोग भरवा रहे हैं। अगर ऐसा कोई काम हो रहा है तो ऐसा कोई काम चोरी–छिपे इस शासन में नहीं हो। दूसरी लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंताओं के कार्यमुक्त करने की बात आपने कही तो यह कार्य जून के अन्त तक हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, उत्तरांचल के 12 जनपदों में, जिसमें से एक जनपद हरिद्वार में पंचायत के चुनाव पहले से हो चुके थे और इन 12 जनपदों में अक्टूबर से लेकर दिसम्बर माह तक इन सबका कार्यकाल समाप्त हो गया और वर्ष की मई माह तक चुनाव हो जाने चाहिए थे। मान्यवर, इसे सब ने स्वीकार्य किया था कि विधान सभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव हो जाने चाहिए।

मान्यवर, मैं संविधान के अनुच्छेद 40 को कोट करता हूं। यह नियम कहता है कि राज्य अपने लिए विधि बनायेगी, और उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधयेक के अनुसार उसकी धारा 87 के अनुसार जो विधियां उत्तर प्रदेश में हैं, वहीं यहां भी रहेंगी। यह उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक कहता है। कांग्रेस सरकार के लोग ट्रेजरी बेंच पर बैठे हैं और महात्मा गांधी जी के सपने को छिन्न–भिन्न कर दिया है। संविधान में गांधी जी के सपनों के आधार पर ही पंचायतों को महत्व दिया गया था। मान्यवर, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या हो सकती है कि महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करने का दावा करने वाली सरकार यहां बैठी है। मान्यवर, जब तक यहां पर नियमावली नहीं बनती है तो उत्तर प्रदेश की नियमावली यहां पर यथावत् रहेगी। उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम नियमावली की धारा 233 कहती है यदि कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो कि कोई ऐसी सरकार आये जो सीधे–सीधे संविधान को ताक पर रख दे तो इसमें कहा गया है कि धारा 232

के अधीन जिला पंचायत को विघटित कर दिये जाने से निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न होंगे :-

1. (1) (क) अध्यक्ष सहित (जिला पंचायत) के समस्त सदस्य, आदेश में निर्दिष्ट दिनांक पर अपने पदों को रिक्त कर देंगे, किन्तु इसके कारण (इस अधिनियम के अधीन सदस्य के रूप में या अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के लिए उनकी पात्रता पर) कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ख) तत्पश्चात् तथाशक्य (जिला पंचायत) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पुनर्संगठित की जायेगी।

(ग) ऐसे एक या अधिक व्यक्ति, जिन्हें राज्य सरकार (जिला पंचायत) तदर्थ नियुक्त करे, उस समय तब जब तक कि (जिला पंचायत) पुनर्संगठित न हो (जिला पंचायत) के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का सम्पादन यथा सम्भव करेंगे तथा सभी प्रयोजनों के लिए उसे या उन्हें (जिला पंचायत) समझा जायेगा।

(2) प्रधान के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम एवं नियमावली के नियम 12 (झ) इसका पार्ट (2) कहता है, जहां प्रधान और उप प्रधान दोनों का पद किसी भी कारण से रिक्त हो, या प्रधान और उप प्रधान दोनों ही किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ हों, वहां, नियम अधिकारी जब तक कि या तो प्रधान या उप प्रधान के पद की ऐसी रिक्ति भरी न जाय या जब तक कि दोनों में से किसी की असमर्थता दूर न हो तब तक प्रधान के कर्तव्यों का पालन और उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए (ग्राम पंचायत) के किसी सदस्य को नाम निर्दिष्ट करेगा। इसकी मंशा यह है कि ग्राम पंचायत के अन्दर ग्राम प्रधान छोटे-छोटे काम करता है। रूप-पत्र क, ख-32, 40 जिसमें टाउन एरिया से स्थाई निवास प्रमाण-पत्र यदि किसी व्यक्ति को देता है तो ग्राम प्रधान गांव के भाग-दो रजिस्टर से देता है, जिसे पूर्ववर्ती सरकार ने मान्यता दी थी, लेकिन क्या हुआ, आज की स्थिति यह है कि एक प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर दिया है जो 20-25 दिनों बाद प्रमाण-पत्र देता है। प्रमाण-पत्र के लिए बेरोजगार दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं।

मान्यवर, पंचायत की व्यवस्था को इस सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में सौंप दिया है। इस प्रजातंत्र में गांव के लोग चारों तरफ आन्दोलित हैं। यह सरकार जनता की आकांक्षाओं को किनारे करना चाहती हैं। मान्यवर, पंचायत समानान्तर सरकार होती है ऐसी संविधान की मंशा थी, इसका संविधान के अनुच्छेद 243 में स्पष्ट उल्लेख है। इस सरकार द्वारा संविधान के सारे उपबन्धों को दर किनार कर दिया गया है। आप प्राविधान कर दें, वह विधि कब तक बनेगी और चुनाव कब तक करेगी। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का कार्य स्थगित करके चर्चा करायी जाये।

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रकाश पन्त जी द्वारा काम रोको प्रस्ताव सदन में रखा मैं उसका समर्थन करता हूं। वर्तमान सरकार प्रजातंत्र की बात करती है। एक ग्राम प्रधान स्थायी मूल निवास प्रमाण-पत्र देता था वह अधिकार ए0डी0ओ0 को दे दिया, इससे

हमारी जनता को बड़ी परेशानी हो रही है। हमारी सरकार ने निर्णय ले लिया था, जो जिला पंचायत का क्षेत्र है वह पंचायत का काम करेगी। यह सरकार प्रजातंत्र का गला घोटना चाहती है। इससे अव्यवस्था हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार ऐसी व्यवस्था करें कि तत्काल चुनाव हो सके। जो प्रशासक नियुक्त किये गये है वे हटाये जाने चाहिए।

श्री कैलाश शर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी पंचायत के सम्बन्ध में जो प्रकाश पन्त जी ने प्रस्ताव रखा उसके सम्बन्ध में बोलना चाहता हूं कि पंचायत भंग करके जो सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। वह जनता के हित में नहीं है, पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति से आप भिज्ञ हैं। लोगों को 40–50 कि0मी0 पैदल चलकर विकास खण्ड जाना पड़ता है। एक ए0डी0ओ0 पंचायत को सारे अधिकारी दे रखे हैं। जन्म–मृत्यु प्रमाण–पत्र का अधिकार भी उनको है। लोग 40–50 कि0मी0 पैदल चलकर जब ए0डी0ओ0 के पास जाते हैं तो जरूरी नहीं कि वे मिल ही जाय। बहुत असुविधा हो रही है सारे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। एक एस0डी0एम0 को तीन–चार विकास खण्डों का प्रभारी बनाया गया है। मान्यवर, जिस मंशा से पंचायत व्यवस्था बनाई गई थी, वह दृष्टिगत नहीं हो रही है। ग्रामीणों में बहुत आक्रोश है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अतिशीघ्र पंचायतों के चुनाव कराकर उसकी व्यवस्था उत्तरांचल में करायी जाय।

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

यह जो विषय माननीय सदस्य ने उठाया है, वह भी विचाराणीय है। मैं यह नहीं कहता कि सरकार की नीयत खराब है। नया राज्य बना था हमें भी कठिनाई थी मुझे सबसे ज्यादा कष्ट इस बात का है कि जब अखबारों में यह छपता है कि पिछली सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ किया ही नहीं, कोर्ट तक में इस बात को कह दिया गया। यह एक बड़ी विडम्बना है कि आप इस तरह के बयान कैसे दे रहे हैं। आपके पास सारे कागजात हैं, फाइलें है उसमें बहुत कुछ लिखा गया है। पिछली बार हमने इसको बदलने का निर्णय लिया था गांव के निचले स्तर तक विकास की बात हमने की थी। चूंकि विधान सभा के चुनाव जनवरी, फरवरी में होने थे हमने प्रतिपक्ष के लोगों से विचार विमर्श किया था इस संबंध में, लेकिन आपने इस बारे में किसी से पूछने की जरूरत नही समझी।

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि अगर एक बार आप विपक्ष के नेताओं को विश्वास में लेकर कोई नियम बनाते जो जनता के अनुकूल होते, तो क्या हम उसका विरोध करते ? 6 करोड़ 25 लाख रुपये पंचायतों के लिए स्वीकृत हैं। 29 मई को चुनाव सम्पन्न हो जाना था, लेकिन उसको स्थगित कर दिया गया। यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है। आज गांवों में छोटे से लेकर बड़े जितने भी कार्यक्रम होते हैं, विकास के कार्य होते हैं, वह पंचायतों के द्वारा ही होते हैं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज आधे से ज्यादा ब्लाकों में बी0डी0ओ0 नहीं हैं। एक बी0डी0ओ0 2–2, 3–3 ब्लाकों को देख रहे हैं। जब हम सत्ता में थे तो हमने जो प्रशासनिक समितियां बनायी थी, उसमें सब लोगों का यह मानना था कि ग्राम पंचायत भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, जिला पंचायत भी सब भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

मान्यवर, इस बार सब कांग्रेस के होंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष को बोलने दें, टोका–टाकी न करें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह आपका कौन सा प्रजातन्त्र है। प्रजातंत्र का अर्थ है–"गवर्नमेंट बाई दि पीपुल, फार दि पीपुल एंड ऑफ़ दि पीपुल।" लेकिन आपने सारा काम अधिकारियों को सौंप दिया है। आपके लिए प्रजातंत्र का अर्थ है–"गवर्नमेंट बाई दि ब्यूरोक्रेसी, फार दि ब्यूरोक्रेसी एंड ऑफ दि ब्यूरोक्रेसी।" आज प्रदेश के अन्दर कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा है। यह अति लोक महत्व का प्रश्न है। जब चुनाव की पूरी तैयारी थी, तो चुनाव को स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, 3.00 बजे तक।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसका जवाब तो आ जाने दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

3.00 बजे जब हम पुनः बैठेंगे, तब इसका जवाब आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष के पुनः 3 बजे अपरान्ह पीठीसीन होने पर

पंचायतीराज, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

मान्यवर, अभी जो पंचायतों के सम्बन्ध में नियम 56 के अन्तर्गत एक सूचना थी। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि पिछली जो सरकार थी, उस सरकार के कार्यकाल में ही पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया था। लेकिन पिछली सरकार कार्यकाल समाप्त होने के बाद पंचायत चुनाव नहीं करा पाई और जहां तक मैं समझता हूं यदि पिछली सरकार पंचायत चुनाव कराना चाहती थी या पंचायतों के बारे में चिन्तित थी तो निश्चित रूप से उसे अपने कार्यकाल में चुनाव करा देने चाहिए थे। लेकिन पिछली सरकार इस बात से भयभीत थी कि यदि विधान सभा चुनाव से पूर्व पंचायतों के चुनाव करा दिये गये तो जो चुनाव परिणाम होंगे वे सम्भवतः इस बात से वाकिफ थे कि वे उनके मन–मुताबिक नहीं होंगे। इसीलिए चुनावों को टाला गया। श्रीमन्, अभी हमारे सम्मानित साथियों ने नियमों का, संविधान का और जिला पंचायतराज अधिनियम

का हवाला देते हुए जो बातें कही, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि लगभग सवा साल तक पिछली सरकार रही और यदि चुनाव कराने की उनकी इच्छा–शक्ति होती तो मैं समझता हूं कि पंचायतराज अधिनियम में यह सरकार कुछ कार्य करती, लेकिन पिछली सरकार ने अधिनियम बनाने में कोई इच्छा–शक्ति नहीं दर्शायी। मैं नेता प्रतिपक्ष की जानकारी में लाना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने सदन में कहा कि पंचायत चुनाव के बारे में हम बहुत चिन्तित हैं। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि जो पिछली सरकार थी उसके कार्यकाल में 4 कार्य–दल बनाये गये और जिन कार्य–दलों ने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा आदि का भ्रमण किया और भ्रमण का मकसद था कि उत्तरांचल को पंचायतराज अधिनियम का स्वरूप दिया जाय, लेकिन जो 4 कार्य–दल बनाये गये, जिन्होंने इन राज्यों का भ्रमण किया, इनमें से मात्र एक दल ने कार्य–दल संख्या–1 ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी है। इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि पिछली सरकार इसके प्रति कितनी चिन्तित थी। (व्यवधान)।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मेरा कहना है कि दो सरकारों के बीच जनता क्यों पिसे ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, सरकार बनी है और हमारी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है, हम चुनाव शीघ्र कराना चाहते हैं। लेकिन कुछ व्यवहारिक परिस्थितियां ऐसी थीं जो परिसीमन पिछली सरकार द्वारा किया गया वह परिसीमन उत्तरांचल राज्य की जनभावनाओं के विपरीत था। उस परिसीमन में जिला पंचायत के क्षेत्र को इतना बड़ा स्वरूप दे दिया गया कि एक विधायक के क्षेत्र के बराबर क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र हो गया। जब हमारी सरकार बनी तो लोगों ने हमसे आकर कहा कि परिसीमन अव्यवहारिक है। मैं स्वयं पंचायत से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मेरे हिसाब से भी यह अव्यवहारिक परिसीमन था। अभी उत्तरांचल में पंचायतराज अधिनियम नहीं बना है। उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम में स्पष्ट लिखा है कि एक जिला पंचायत के सदस्य का जो क्षेत्र है वह 50 हजार की जनसंख्या पर होगा। इसके साथ–साथ यह व्यवस्था भी की है कि पर्वतीय क्षेत्र के जो जनपद हैं उनमें जिला पंचायत के सदस्य का जो परिसीमन करेंगे वह 7 किलोमीटर के अर्ध व्यास में या 14 किलोमीटर के व्यास में करेंगे। लेकिन पिछली सरकार की मंशा नहीं थी और ऐसा स्वरूप परिसीमन का खड़ा कर दिया जिसमें मैं समझता हूं कि पंचायत चुनाव हो पाना मुश्किल कार्य था। हमारी सरकार ने प्रयास किया कि हम जन भावनाओं के अनुरूप परिसीमन का कार्य करें। हमारी यह दृढ़ इच्छा शक्ति है। माननीय प्रकाश पन्त जी ने कहा कि यह सरकार पंचायत चुनाव टालना चाहती है। हमारी ऐसी मंशा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी सरकार बने तीन माह का समय हुआ है और हमारी सरकार पुनः परिसीमन करते हुए पंचायत चुनाव में जाना चाहती है, लेकिन मामला न्यायालय में विचाराधीन है और मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि हाई कोर्ट में पी0वी0सी0ए0एल0 बनाम भारत सरकार की एक रिट विचाराधीन है और पिछली सरकार ने जो समय सारिणी न्यायालय में प्रस्तुत की थी आज की तिथि तक न्यायालय ने उस पर कोई फैसला नहीं दिया है।

मामला न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय का जो आदेश होगा सरकार उसका पालन करेगी, लेकिन यदि हमें समय मिलता है तो हम पुर्न परिसीमन करते हुए परिसीमन क्षेत्र को छोटा करने का कार्य करेंगे।

यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय जो आदेश देगा उसका पालन हमारी सरकार करेगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चुनाव होंगे। राजनैतिक दृष्टिकोण से चुनाव समाप्त होते हुए ही यदि हम चुनाव करा देते तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती परन्तु हमने व्यवहारिकता को देखते हुए चुनाव नहीं कराये। पिछली सरकार ने पंचायत चुनाव को शीघ्र कराने की बात कही और आठ मंत्रिपरिषद् की बैठकें हुई। दो उप समितियों की बैठकें हुई और एक सर्वदलीय बैठक हुई थी। इतनी बैठकें होने के बाद भी किसी भी परिणाम पर पिछली सरकार नहीं पहुंच पाई। दिनांक 4–9–2000 को उप समिति की जो बैठक हुई थी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जिन बिन्दुओं पर अपनी बात कही उसमें आपने कहा कि पंचायत चुनावों को कराने में व्यवहारिक कठिनाई है। अभी हमारी सरकार को बने हुए तीन माह हुए हैं और हम निश्चित रूप से चुनाव शीघ्र करायेंगे। हम विद इन सिक्स मंथ में करायेंगे।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह सरकार पंचायतों के चुनाव कराने के संबंध में गम्भीर नहीं है। इसलिए हम सदन का बहिष्कार करते हैं। (भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यों ने सदन का बहिष्कार किया है)।

श्री नारायण पाल–

पंचायत चुनावों के मामले में हम भी इनके साथ हैं इसलिए हम भी सदन का बहिष्कार करते हैं। (बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गये)।

श्री अध्यक्ष–

सरकार इसे गम्भीरता से ले, मैं श्री प्रकाश पन्त जी की सूचना को अग्राहय करता हूं।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक ऐसी घटना लाना चाहता हूं जिसमें उत्तरांचल ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एक ऐसा संदेश दिया जैसे आज कश्मीर की शांत वादियों को आतंकवाद ने अपने चपेट में ले लिया है और वहां आने–जाने लायक नहीं रह गया है और वहां पर एक प्रकार से खून खराबा होने लगा है उसी तरह से पर्वतीय क्षेत्र के टिहरी गढ़वाल जिले जो कि अंग्रेजों के जमाने में अछूता रहा वहां पर बीस तारीख को सुबह लगभग दस बजे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, यूं कहिये एक बहुत बड़ा हादसा होते–होते बच गया। एक टाइम बम आई0डी0ई0 इमप्रोवाइज एक्सप्लूसिव डिवाइस वहां पर फूटा।

मान्यवर, जब टाइम बम फूटा तो उसमें दो बच्चों की मौत हो गयी। दुःख की बात यह है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था किस तरह से चल रही है। यह मैं सदन के संज्ञान में आपके माध्यम से ला रहा हूं। जब प्रबोधन सत्र चल रहा था तब मैंने और माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी ने जब बारह बजने में दस मिनट थे तब मुख्यमंत्री जी को जानकारी दी। कितने खेद की बात है कि आई0डी0ई0 टाइम बम फूटा और प्रदेश के मुखिया को इसकी खबर तक नहीं दी गयी। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी कि हमारी सूचना तंत्र कितनी कमजोर हो गई है, यह सब इस घटना ने साबित कर दिया है। मान्यवर, जब ज्वाइंट प्रेस हुई तब आपने कहा कि इस तरह का जो बम होता है, इसका सूत्र कहीं न कहीं आतंकवादी संगठनों से जुड़ा होता है और कोई ऐसी तकनीक नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब कि उत्तरांचल की शान्त वादियों में कहीं न कहीं कोई षडयंत्र किया जा रहा है। मान्यवर, इसमें पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है चूंकि यह गम्भीर मामला है इसलिए इसमें पर्दा नहीं डालना चाहिए। बाद में बताया गया कि इसमें दो शराब माफियाओं की लड़ाई थी। मान्यवर, वहां पर फोर्स लगाई गई। यह कोई साधारण घटना नहीं है और इसमें कई दिन व्यतीत हो गये हैं और अभी तक कोई किसी व्यक्ति को सुराग नहीं लग पाया है। मान्यवर, इसको प्रदेश की जनता जानने के लिए उत्सुक है। आखिर यह लोग कौन थे, अगर दो शराब माफियाओं की लड़ाई थी तो यह बम कहां से आया, यह बम किसने बनाकर दिया।

मान्यवर, हमारे यहां पर अभी यात्रा सीजन चल रहा था, इस घटना ने कई लोगों को डराया है, जैसे लोग कश्मीर जाने से घबराते हैं, ठीक उसी तरह इस घटना से लोग यहां आने से कतरा रहे हैं। इस संबंध में क्या कार्यवाही हुई है मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। पूरे प्रदेश की जनता इसको जानना चाहती है जो घटना वहां पर हुई है, उस घटना में मारे गये व्यक्तियों को कितना मुआवजा दिया गया, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया। मान्यवर, वहां पर आर0एस0एस0 का दफ्तर है और शांति कुंज का एक शिविर लग रहा था। मान्यवर, कहा गया यह बम किसी मकान के पीछे रखा हुआ था। मैं समझता हूं कि यह बम मकान के पीछे नहीं हो सकता है, यह किसी झाड़ी के पीछे हो सकता है। दिन दहाड़े देहरादून में गला घोंट दिया जाता है। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि यह सिर्फ विपक्ष का मामला नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश और सदन का विषय है, इससे महत्वपूर्ण, तात्कालिक और अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय और कोई नहीं हो सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस विषय पर चर्चा कराना अनिवार्य है, जिससे हम प्रदेश की जनता को बता सकें।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने वरिष्ठ सदस्य भाई अजय भट्ट ने जिस गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा मानना है कि इतनी महत्वपूर्ण घटना को सरकार ने इतने हल्के ढंग से क्यों लिया। टिहरी बांध जिस पर पूरे प्रदेश तथा विश्व की नजर है, और जो उत्तरांचल के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत बनने जा रहा है, उस स्थान पर टाइम बम फटना शर्मनाक है। मान्यवर, आश्चर्य तब होता है जब पुलिस इस बात को हल्के ढंग से लेती है। यह दो शराब व्यवसायियों का आपसी झगड़ा था। ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही होनी चाहिए जो शांतिपूर्ण व्यवस्था को और उत्तरांचल जैसे देवभूमि के अन्दर जिस प्रकार का यह हादसा हुआ है वास्तव में यह शर्म का विषय है।

मान्यवर, यह प्रदेश सीमावर्ती प्रदेश है। हम लोगों की इस प्रदेश को बनाने की मंशा सीमाओं की सुरक्षा भी है। इस प्रकार की घटनायें प्रदेश के अन्दर होंगी तो विश्व पटल पर हमारी छवि खराब होगी, इससे उत्तरांचल में आने वाला पर्यटक भी निश्चित रूप से प्रभावित हुआ है। मान्यवर, आज उत्तरांचल में बंगलादेशी घुसपैठियों से ग्रस्ति है। आर0एस0एस0 कार्यालय में कई संगठनों के पत्र पहुंचते हैं। यह सरकार और खुफिया एजेंसियों के लिए खतरा है। एक प्रकरण अभी सामने आया बीजा समाप्त होने के बाद भी विदेशी इस प्रदेश के अन्दर घूम रहे हैं। हमारे प्रदेश की एक अलग पहचान है और उस पहचान को आघात पहुंचाने की कोशिश की गई है। उत्तरांचल पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़ा क्षेत्र है। प्रदेश के अन्दर जिस प्रकार से कानून व्यवस्था पर अराष्ट्रवादी ताकतों द्वारा घटनायें की जा रहीं हैं। ऐसी अराष्ट्रवादी तत्वों को उत्तरांचल में रोकने के लिए समुचित व्यवस्था न करना सरकार की अक्षमता प्रस्तुत करता है। वन्य जीवों की हत्या हो रही है, इस पर आश्चर्य होता है कि सरकार संवेदनशील नहीं है। इस अविलम्बनीय और लोक महत्व के विषय पर सारी कार्यवाही रोककर इस विषय पर चर्चा करायी जाये।

श्री सुरेश चन्द्र जैन–

माननीय अध्यक्ष जी यह जो टिहरी में बम विस्फोट हुआ है, यह राष्ट्र और प्रदेश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है और गम्भीर विषय है। यह पार्टी स्तर से उठ कर पूरे प्रदेश की जनता का विषय है। इसमें पूरे प्रदेश ही नहीं राष्ट्र की जनता भी है, क्योंकि उत्तरांचल में आतंकवाद ने दस्तक दी है, आतंकवादी इस प्रदेश को भी कश्मीर बनाना चाहते हैं। इसे शराब माफियाओं के आपसी झगड़े से जोड़ा गया, मैं समझता हूं कि हम अपने प्रदेश को स्वयं ही कश्मीर की तरह से आतंकवाद की तरफ झांकने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मेरा मानना है कि इसे इसी स्तर पर रोकना होगा अन्यथा कश्मीर बनने में देर नहीं लगेगी। उत्तरांचल शान्ति प्रिय प्रदेश रहा है, यहां पर एक छोटा सा अपराधी होता है वह भी अपराध करने को डरता है, क्योंकि यहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वह यहां से बाहर नहीं जा सकता है। यह जो बम विस्फोट की घटना हुई है यह साधारण घटना नहीं है, यह पहली घटना उत्तरांचल में हुई है।

मान्यवर, बम फटा है एक कहावत है मौत का डर नहीं, मौत ने घर देख लिया है। मान्यवर, डर इस बात का है कि आज उत्तरांचल में आतंकवादियों ने पैर पसारने शुरू कर दिये हैं। मेरा आग्रह है कि पूरे सदन को सरकार को इसमें कोई पार्टी विशेष की बात न करके चिन्तन करना चाहिए। जहां तक हमारे सहयोग की बात है, हम आपको पूरा सहयोग देंगे। मान्यवर, आतंकवादियों द्वारा कोई व्यक्ति मार दिया जाता है या प्रदेश में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो वह किसी पार्टी विशेष की क्षति नहीं है बल्कि प्रदेश की क्षति है। आज आतंकवादियों ने एक चुनौती दी है। भविष्य में इस तरह की कोई घटना न हो, इसके लिए हमें एक योजना बनानी चाहिए। जिससे सम्भावित खतरे को रोका जा सके।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, जो बम विस्फोट हुआ, वह बहुत ही खतरनाक किस्म का बम विस्फोट था। उस दिन मैं स्वयं वहां गया था। हमारे नेता वहां गये थे, जो पर्यटन मंत्री हैं। आप तो सेना में बड़े पद पर रहे हैं और आपने स्वयं यह बात स्वीकार की थी और प्रेस को यह

जानकारी दी थी कि यह साधारण विस्फोट नहीं है इस घटना के तार आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं। मान्यवर, अब ऐसा लगता है कि वहां के अधिकारी अपने को बचाने में लगे हुए हैं। वहां की प्रशासनिक इकाई सही काम नहीं कर रही है। जिलाधिकारी तथा एस0एस0पी0 ऐसा लगता है कार्यों को सही तरीके से अंजाम नहीं दे रहे हैं। यह बड़ी चिन्ता का विषय है। कई दिन हो गये अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अधिकारियों द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है।

निश्चित रूप से इस घटना से उत्तरांचल का जनमानस अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहा है। उत्तरांचल की सीमाएं कई देशों से जुड़ी हुई हैं। देश की सभी सीमाएं आज आतंकवादियों से ग्रस्त हैं। यह स्थिति अभी तक उत्तरांचल के प्रदेश की नहीं थी लोगों का पलायन हो रहा है। मान्यवर, कहीं यह अन्तर्राष्ट्रीय षडयंत्र तो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब उत्तरांचल राज्य का आन्दोलन चल रहा था, उस समय असम में एक उग्रवादी पकड़ा गया था उस दौरान उन्होंने कोशिश की थी उत्तरांचल के राष्ट्र भक्तों को रास्ते से डिगाने की कोशिश की थी।

मान्यवर, यह बहुत लोक महत्व का प्रश्न है। इस विषय पर मैं निश्चित रूप से चर्चा कराने की मांग करता हूं और उत्तरांचल की जनता को उसकी सुरक्षा की गारन्टी हमको देनी चाहिए, उनके मन में असुरक्षा की जो भावना है, वह दूर होनी चाहिए।

डा0 श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री अजय भट्ट जी ने टिहरी में जो बम विस्फोट की घटना प्रकाश में आयी, जिसको सम्भवतः उन्होंने और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने स्वयं भी जाकर देखा, का उल्लेख किया। यह सही है कि इस समय देश में आतंकवाद की घटनाएं आए दिन प्रचारित प्रसारित होती हैं, इस पर चिन्तित होना स्वाभाविक है। इस घटना की सूचना गृह विभाग द्वारा मिलने पर सरकार इस विषय पर गम्भीर हुई है और चारों दिशाओं में इसकी जानकारी के लिए जितने भी उपाय हो सकते हैं, किये गये। आपने जो जानकारी दी, वह पूर्ण नहीं थी, मैं पूरी घटना से सदन को अवगत करा रही हूं–दिनांक 20–5–2002 को प्रातः लगभग 10.15 बजे नई टिहरी के कस्बे मॉडल मोहल्ले में बसेरा होटल के निकट श्री अजय पाल सिंह राणा के मकान के पीछे खाली जगह में श्रमिक/सफाई कर्मियों के बच्चों को खेलते समय एक गत्ते का डिब्बा मिला जिसे उन्होंने खाने की वस्तु समझकर ईंट से मारकर खोलना चाहा जिससे विस्फोट हो गया एवं इस विस्फोट में 02 बच्चे, रोहित पुत्र श्री राम किशन उम्र 6 वर्ष व पिन्टू पुत्र श्री मंगल उम्र 7 वर्ष की मृत्यु हो गयी तथा 03 बच्चे अरुण पुत्र श्री राम किशन उम्र 10 वर्ष, सोमी उर्फ सम्मी पुत्र श्री मंगल उम्र 5 वर्ष व कु0 रोमा पुत्री श्री मंगल उम्र 5 वर्ष घायल हो गये। इस सम्बन्ध में साधू पुत्र श्री सनातन निवासी गांव गोण्डा पुल्सा थाना जसीपुर जिला मयूरगंज (उड़ीसा) हाल मजदूर नई टिहरी द्वारा नई टिहरी में मुकदमा अपराध संख्या 91/2002 धारा 302/307 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम पंजीकृत किया गया।

घटना स्थल का निरीक्षण पुलिस महानिदेशक उत्तरांचल, पुलिस महानिरीक्षक (अपराध), पुलिस उप महानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र, पुलिस अधीक्षक टिहरी गढ़वाल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है।

घटना स्थल के निरीक्षण एवं अब तक की विवेचना से प्रथम दृष्टया विस्फोट सामग्री बम प्रतीत होती है।

घटना स्थल से उपलब्ध विस्फोट बम में प्रयुक्त सामग्री को दिनांक 25–5–2002 को बम टाइम सेन्टर, एन0एस0जी0 मनेशर, गुडगांव (हरियाणा) को परीक्षण हेतु भेज दिया गया है एवं अभियोग में विवेचना प्रचलित है।

घटना के सभी पहलुओं पर गहनता से छानबीन एवं घटना के अनावरण हेतु अनवरत प्रयास जारी हैं।

अब तक की विवेचना से घटना का सम्बन्ध अवैध शराब की तस्करी करने वाले दो गुटों की आपसी गुटबन्दी का बदला लेने व भयभीत/आतंकित करने के उद्देश्य से किया जाना प्रतीत होता है।

मान्यवर, आपने जो घटना यहां बतायी, निश्चित रूप से वह गम्भीर है और यह सत्य है कि इसमें 2 बच्चों की मृत्यु हो गयी और 3 बच्चे घायल हो गये। यह गम्भीर बात है कि बम विस्फोट की जो खबर समाचार–पत्रों के माध्यम से जनता तक पहुंची, उससे लोगों के मन में भय का संचार हुआ।

और सरकार को इसकी चिन्ता हुई, सरकार के माध्यम से मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश भेजे गये वे सख्त थे। ऐसा नहीं है कि डी0एम0, एस0एस0पी0 या किसी अधिकारी को बचाने या बख्सने का प्रश्न ही नहीं है। उत्तरांचल राज्य में टिहरी बांध बन रहा है जो कि लगभग 21 किलोमीटर दूर है। आपने जो बम विस्फोट का प्रश्न उठाया वह महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि उसमें 2 बच्चे मर गये थे। इस बम विस्फोट में विस्फोट सामग्री का कोई डिवाइस नहीं था और उसका उद्देश्य जो अब तक रिपोर्ट में बताया गया दो शराब के व्यवसाय करने वाले लोग थे, यह उनके आपसी झगड़े का नतीजा था, लेकिन हम इसे गम्भीरता से लेते हुए जो भी रिपोर्ट आयेगी उसे सदन के पटल पर रखेंगे और बम के टाइप की बात भी पटल पर रखेंगे और दूसरी बात यह कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जानकारी थी या नहीं। यह तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं वहां मौजूद नहीं थी। इसे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बतायेंगे।

(व्यवधान)

हम इस विषय को बड़ी गम्भीरता से ले रहे हैं और इसे गम्भीरता से लेने के कारण सुरक्षा व्यवस्था पूरे उत्तरांचल में, टिहरी बांध में और सीमा पर भी है। इसे हम और आप फेस कर रहे हैं। अब जम्मू–कश्मीर भी हमारा हिस्सा है तो सारे देश की, पूरी सीमा की जहां भारत सरकार को चिन्ता है वहां उत्तरांचल राज्य के अन्दर शांति हो और कोई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कोई बीजा का मामला भी पकड़ा गया, जांच हुई तो वह जगह–जगह दण्डित किया जा रहा है। आतंकवादी कौन, किस रास्ते से घुस आये, यह हमारी, आपकी जिम्मेदारी है कि किस तरह से उत्तरांचल में, शांत उत्तरांचल में अवरोध उत्पन्न करने वालों को बख्शा न जाये और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि दोषी इसके लिए दण्डित होंगे। प्रशासन की सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, कम से कम दो बच्चे जिनकी मृत्यु हो गयी तथा जो घायल हो गये, कम से कम 2 लाख रुपये नहीं तो एक लाख रुपये दे दिये होते। इसे काफी समय हो गया है। अब प्रश्न यह है कि सरकार की आलोचना करूं या प्रशंसा करूं ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी इसे गम्भीरता से देख लें।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मेरी अपनी जानकारी में माननीय मुख्यमंत्री जी इस सम्बन्ध में सम्भवतः कुछ आदेश कर चुके हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस घटना में बम के अवयव नहीं पाये गये और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि वह बम किस तरह का था इसकी जांच करा रहे हैं। मान्यवर, अगर बम के अवयव नहीं पाये गये तो फिर जांच किस लिए करायी जा रही है ? दूसरा, माननीय मंत्री जी ने किस आधार पर कहा कि उसमें बम के अवयव नहीं पाये गये, क्या किसी विशेषज्ञ ने इसकी पुष्टि की है।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, प्रथम दृष्टया जांच में यह तथ्य सामने आया था लेकिन हमने प्रथम दृष्टया जांच को ही पूर्ण नहीं मान लिया और उसे लैब में परीक्षण के लिए भेजा गया।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो मान्यवर अभी तक कितने आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैंने आतंकवादी शब्द का प्रयोग नहीं किया है। मैंने इतना कहा है कि जो लोग उत्तरांचल की शान्ति व्यवस्था को भंग करके आतंक का वातावरण बनाना चाहते हैं, उन्हें बख्शा नहीं जायेगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस घटना के बाद से क्या यहां पर अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गयी है या बढ़ाने के निर्देश दिये गये हैं।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अति विशिष्ट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गयी, सदन के अन्दर भी बढ़ा दी गयी और सामान्य नागरिक की भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गयी है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस घटना में बम के अवयव नहीं पाये गये, तो इसमें बच्चों की मौत कैसे हो गयी, इसकी भी जांच होनी चाहिए।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, वो शायद टाइम बम नहीं था। इसकी जांच की जा रही है। जो सूचना आयी वो मैंने सदन में दे दी।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री श्री टी0पी0एस0 रावत जी वहां पर थे, सेना के अधिकारी वहां पर थे, आई0जी0 पुलिस वहां पर थे। मान्यवर, ऐसा बयान न दिया जाये।

(व्यवधान)

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इस मामले में जो जानकारी थी वह सदन को दे दी गयी है।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान टिहरी बम विस्फोट की घटना की ओर...............

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य आप अपने विषय पर बोलें।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, टिहरी बम काण्ड के विषय में जो यहां पर चर्चा चली, मुझे इस विषय पर ज्यादा कुछ नहीं कहना है कि जब मंत्रिमण्डल के एक सहयोगी वहां पर जाकर यह कहते हैं जो बम है किसी छोटे मोटे अपराधी द्वारा नहीं बनाया जा सकता है यह बड़ा अपराधी है जो इसे बना सकते हैं और आतंकवादी ही इसे बना सकते हैं। उसके बाद अखबार में हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शासन और सरकार के बीच में कहीं न कहीं कोई संवादहीनता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत शक्तिफार्म में करीब चार महीने पहले दो बंगाली नौजवान डैम में मरे पड़े पाये गये और उनके गले में निशान भी थे उससे प्रतीत होता है कि उनकी हत्या कर दी गयी, परन्तु आज तक यह पता नहीं चला कि उनकी हत्या हुई थी या वह स्वाभाविक रूप से डूबकर मर गये थे। इसके लिए मैं अपने क्षेत्र ओजली ग्राम की ओर आपका ध्यान आकर्षित

करना चाहता हूं, एक इण्टरमीडिएट कालेज के क्लर्क अमर सिंह उनकी हत्या कर दी गयी और इस संबंध में चालीस लोगों को गिरफ्तार किया गया, परन्तु बाद में बारी–बारी से उनको छोड़ दिया गया, हत्या किसने की, इसकी जानकारी आज तक नहीं है। अल्मोड़ा में चखुटिया, पहाड़ में सबसे ज्यादा शांत प्रिय क्षेत्र है परन्तु आज वहां पर गैंगवार चल रहा है और पुलिस का कोई अंकुश नहीं है। उसी प्रकार अल्मोड़ा में एक साल पहले एक दवा विक्रेता, श्री अचल पंत की हत्या हुई थी औ उसकी जांच सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 को सौंपी गयी, परन्तु मुझे ज्ञात हुआ है कि पांच महीने में एक बार कोई अधिकारी वहां पहुंचा और इस मामले में भी खुलकर कोई अपराधी सामने नहीं आया है। मान्यवर, जगह–जगह पर हम बोर्ड देखते हैं कि उत्तरांचल पुलिस आपकी मित्र है। इस संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विश्वस्त सूत्र से मुझे पता चला है कि मधुबन होटल में एक पुलिस की पार्टी होती है और एक पी0 पी0 एस0 कैडर का अधिकारी एक आई0 पी0 एस0 अधिकारी पर हमला करने की बात करता है और खुले आम रिवाल्वर निकालता है। मान्यवर, यह तो देव भूमि है, यदि इस प्रकार की एक्टिीविटी यहां पर हुई तो पुलिस के खिलाफ जनमानस खड़ा हो जायेगा।

मान्यवर, पूरे ऊधमसिंह नगर में जाली नोटों का धन्धा चल रहा है अपराधी खुले आम घूम रहे हैं विगत तीन माह से, जब से यह सरकार बनी है एक भी जाली नोटों का धन्धा करनें वाला अपराधी नहीं गिरफ्तार हुआ है, यदि हुआ है तो सदन को बताने का कष्ट करें।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से हल्द्वानी की कानून व्यवस्था की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर निरन्तर घटनाएं हो रही हैं। काशीपुर में घटनाएं हो रही हैं, एक साल में पन्द्रह हत्याएं हो चुकी हैं यदि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा कदम नहीं उठाए गए तो पहाड़ का चैन और शांति खत्म हो जाएगी।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे जो उत्तरांचल के सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां गलत तरीके से धार्मिक स्थल बनाये जा रहे हैं वहां तमाम अपराधियों के बैठने के अड्डे बन गये हैं। मान्यवर, मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं, हमारे हरिद्वार में हरजोली घट एक गांव है वहां पर वन कटान हो रहा है। वन कटान के मामले में जो अपराधी गिरोह है वह इस वन कटान में शामिल है। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यह जो मामले हैं, अगर इन पर ध्यान न दिया गया तो निःसंदेह यहां का अमन चैन खत्म हो जायेगा।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हमारे बसपा क्रे नेता पहली बार आये हैं इसलिए मैं इनको बताना चाहती हूं कि नियम 56 के अन्तर्गत कोई निश्चित घटना हो, निश्चित अवधि हो, तात्कालिक हो तो उत्तर कार्य स्थगन का विषय बनेगा। मान्यवर, आप भी सहयोग करें और माननीय प्रकाश पन्त जी भी सहयोग करें। तो मान्यवर, यह कार्य स्थगन का विषय तो बनता नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

इसे मैं अग्राह्य करता हूं।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, धार्मिक कार्यों में पशुवध को बन्द किया जाना चाहिए। मान्यवर, इस्लाम धर्म में बकरीद का एक त्योहार होता है जिसमें 3 दिन तक कुर्बानी दी जाती है, यह धार्मिक मामला है। मान्यवर, इस्लाम में ही नहीं बल्कि गढ़वाल में भी मंदिरों में पशु की बलि दी जाती है।

मान्यवर, मैं इस सदन का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 25 की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें स्पष्ट उल्लिखित है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। मान्यवर, यदि आप आज्ञा दें तो मैं इस अनुच्छेद को विस्तृत रूप से पढ़ना शुरू करूं।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जाइये, मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, धन्यवाद।

वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय–व्ययक के विवरण का प्रस्तुतिकरण

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्यमंत्री जी वित्तीय वर्ष 2002–2003 का आय–व्ययक प्रस्तुत करेंगे। यदि सदन की अनुमति हो तो माननीय मुख्यमंत्री बैठे–बैठे बजट भाषण पढ़ सकते हैं। (सभी माननीय सदस्यों ने सहमति व्यक्त की)।

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं। सम्मानित अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से इस परम सम्मानित सदन के सम्मुख वित्तीय वर्ष 2002–2003 का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं।

यह मेरा सौभाग्य है कि ....

(बजट भाषण जारी)

.... इन शब्दों के साथ, मान्यवर मैं वर्ष 2002–2003 का बजट प्रस्तुत करता हूं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 51 के अन्तर्गत 7 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, श्री मदन कौशिक, श्री प्रकाश पन्त, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री मातबर सिंह कण्डारी और श्री काशी सिंह ऐरी, श्री विपिन त्रिपाठी जी की सूचना है। श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट की सूचना को मैंने नियम 51 के अन्तर्गत स्वीकार किया है और श्री मदन कौशिक तथा श्री बलबीर सिंह नेगी जी की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है। शेष सूचनाएं अस्वीकृत की जाती हैं।

अब हम कल प्रातः 11.00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(देखिए तारांकित प्रश्न सं0 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 5 पर)

नत्थी 'क'
संलग्नक–1

उत्पादनरत परियोजनाएं

क्रमांक	परियोजना का नाम	जिला	क्षमता (कि0वा0 में)	विद्युत भार पर आने की तिथि	वर्ष 2002–03 में उत्पादन लक्ष्य (यूनिट में)	अप्रैल, 2002 में उत्पादित ऊर्जा (यूनिट में)	अप्रैल, 2001 में उत्पादन (यूनिट में)	वर्ष 2001–02 का उत्पादन लक्ष्य (यूनिट में)	वर्ष 2001–02 में उत्पादित ऊर्जा (यूनिट में)
1.	कोटाबाग	नैनीताल	200	01.04.1990	3,00,000	1000	Nil	2,50,000	3,59,492
2.	कंचौटी	पिथौरागढ़	2000	25.08.1993	90,00,000	11,11,000	7,19,000	70,00,000	93,17,400
3.	कुलागाड	पिथौरागढ़	1200	01.09.1994	30,00,000	3,02,000	1,000	30,00,000	23,89,301
4.	सप्तेश्वर	चम्पावत	300	01.09.1994	3,00,000	8,000	6,000	5,00,000	2,17,846
5.	बरार	पिथौरागढ़	750	01.04.1997	25,00,000	31,000	57,000	20,00,000	17,03,774
6.	छिरकिला	पिथौरागढ़	1500	01.05.1997	50,00,000	2,59,000	1,95,000	50,00,000	39,63,100
7.	उरगम	चमोली	3000	01.04.1998	1,00,00,000	6,29,000	6,21,000	1,00,00,000	81,31,998
8.	थराली	चमोली	400	01.04.2002	6,00,000	23,000	Nil	Nil	Nil
9.	सुरनिगाड	पिथौरागढ़	800	01.05.1999	15,00,000	1,36,000	1,37,000	15,00,000	16,83,500
10.	हर्षिल	उत्तरकाशी	200	17.07.1999	2,00,000	18,000	13,000	2,50,000	1,07,604
11.	गौरी	चम्पावत	200	01.11.1999	3,00,000	5,000	4,000	3,00,000	2,18,650
12.	छरनदेव	पिथौरागढ़	400	04.04.2001	9,00,000	40,000	54,000	7,00,000	8,50,404
13.	तालेश्वर	पिथौरागढ़	600	04.04.2001	12,00,000	92,000	42,000	10,50,000	9,85,894
14.	गंराव	पिथौरागढ़	300	01.10.2001	7,00,000	22,000	Nil	1,00,000	1,32,296
	कुल योग		11850		3,55,00,000	26,77,000	18,49,000	3,16,50,000	3,01,24,259

नत्थी 'क' संलग्नक–2

उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 की लघु जल विद्युत परियोजनाओं में वर्ष 2001–02 में निर्धारित लक्ष्य से कम उत्पादन करने वाली परियोजनाओं के उत्पादन वृद्धि के सम्बन्ध में कार्य योजना

1. कुलागाड परियोजना : ग्रिड के पूर्ण उपलब्ध करने हेतु धारचूला–पिथौरागढ़ 132 केवी लाख बनाने का कार्य प्रस्तावित है जिसे अगस्त, 2004 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

2. सप्तेश्वर परियोजना : क्षमता के पूर्ण उपयोग हेतु परियोजना को 11 केवी लाख के द्वारा 33/11 केवी उपस्थान चम्पावत से जोड़ने का कार्य प्रस्तावित है जिसे जून, 2003 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

3. बरार परियोजना : अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हेडवर्क्स का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

4. छिरकिला परियोजना : मशीनों का रिपेअर/कार्य कर लिया गया है। ग्रिड के पूर्ण उपयोग हेतु 132 केवी लाख धारचूला–पिथौरागढ़ बनाना प्रस्तावित है जिसे पूर्ण करने के लिए अगस्त, 2004 का लक्ष्य रखा है।

5. उरगम परियोजना : गवर्नर को ठीक करने का कार्य प्रगति पर है। इसे जून, 2002 तक पूरा करने लक्ष्य रखा गया है।

6. हर्षिल परियोजना : उपरोक्त परियोजना के जीर्णोद्धार का कार्य कराया जा रहा है जिसका जुलाई, 2002 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

7. थराली : परियोजना का जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। परियोजना को 11 केवी लाख द्वारा 33/11 केवी नारायण बगढ़ उपस्थान से जोड़ने का कार्य प्रस्तावित है। वर्ष जून, 2003 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

8. गौरी परियोजना : इस परियोजना के जीर्णोद्धार का कार्य प्रस्तावित है। इसके हेतु अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। इस परियोजना को ग्रिड के साथ जोड़ने का कार्य माह अगस्त, 2002 तक पूर्ण होने का लक्ष्य है।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 28 मिनट पर मंगलवार 04-06-2002 अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हो गया)।

महेश चन्द्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तरांचल।

उत्तरांचल :

दिनांक : 03 जून, 2002

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 06 विधान सभा / 14-02-05-2003-200 पुस्तकें (कम्प्यूटर / ऑफसेट)।